

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2025—ज्येष्ठ 16, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, घनश्याम शर्मा पिता दलीचन्दजी शर्मा, निवासी—28, शिवनगर नया गांव रतलाम (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम तन्मय शर्मा तथा मेरी पत्नी का नाम गंगा शर्मा है. जो सही है. मेरे पुत्र का घरेलू नाम अमित शर्मा था. आधार कार्ड में पुत्र का नाम तन्मय शर्मा के स्थान पर अमित दर्ज हो गया है. जबकि वास्तविक नाम तन्मय शर्मा है और भविष्य में तन्मय शर्मा ही रहेगा. इस कारण मेरे पुत्र का जहाँ कहीं पर भी अमित अथवा अमित शर्मा अंकित हो वहाँ—वहाँ पर तन्मय शर्मा पिता घनश्याम शर्मा ही अंकित किया जावे व समस्त रिकार्ड व शासकीय व अद्वशासकीय कार्यालय, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जावे व इसी नाम से जाना—पहचाना जावे.

आवेदक

(घनश्याम शर्मा)

पिता— दलीचन्दजी शर्मा.

(G-2487)

नाम परिवर्तन

मैं, अजेश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम, निवासी—ग्राम मेताड़ा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम दीपिका (DEEPIKA) पुत्री श्री अजेश कुमार (AJESH KUMAR) दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री का सही नाम प्रतिज्ञा (PRATIGYA) पुत्री श्री अजेश कुमार (AJESH KUMAR) है एवं अन्य शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में भी प्रतिज्ञा (PRATIGYA) पुत्री श्री अजेश कुमार (AJESH KUMAR) दर्ज है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम व सरनेम से जानी—पहचानी जावेगी.

पुराना नाम
(दीपिका)
(DEEPIKA)

(G-2488)

नया नाम
(प्रतिज्ञा)
(PRATIGYA)
पुत्री— श्री अजेश कुमार
(AJESH KUMAR).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड के अनुसार देवांश दांगी (DEVANSH DANGI) है. जो घरेलू प्रचलित नाम है तथा मैं, अपने पुत्र का नाम परिवर्तित करवाकर दिव्यांश दांगी (Divyansh Dangi) करवाना चाहता हूँ. अतः भविष्य में मेरा पुत्र दिव्यांश दांगी (Divyansh Dangi) के नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

आवेदक

(रघुवर सिंह दांगी)

आमज— श्री विश्राम सिंह सोंठी
निवासी— मकान नं.-07, कसार खेड़ी,
सोंठी, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-2489)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरे पुत्र चिन्मय कुशवाह पुत्र श्री मनोज कुशवाह, माता श्रीमती रक्षा कुशवाह, जो कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज है, जो असत्य है. मेरे पुत्र का सही नाम चिन्मय कुशवाह के स्थान पर आरंभ कुशवाह पुत्र श्री मनोज कुशवाह, माता श्रीमती रक्षा कुशवाह, अतः प्रकाशन उपरांत से मेरे पुत्र को आरंभ कुशवाह पुत्र श्री मनोज कुशवाह लिखा एंव पढ़ा जावे.

आवेदिका

(रक्षा कुशवाह)

पत्नी— श्री मनोज कुशवाह
निवासी— ई-74, ब्रह्मपुरी कालोनी,
सीहोर, तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-2490)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिल घावरी पुत्र स्व. मोहनलाल घावरी, निवासी—म नं. 4, कैलाश नगर, पानी की टंकी के पास, सी.टी.ओ. बैरागढ़, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नीतीशा घावरी (NITISHA GHAWARI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में निशिका घावरी (NISHIKA GHAWARI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में निशिका घावरी (NISHIKA GHAWARI) पुत्री अनिल घावरी के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

आवेदक

(अनिल घावरी).

(G-2491)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थी हरिओम पटेल की पुत्री का सही नाम अनाया पटेल (ANAYA PATEL) है. जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश सुदीक्षा पटेल (SUDIKSHA PATEL) दर्ज हो गया है. अनाया पटेल एवं सुदीक्षा पटेल मेरी ही पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री का नाम सुदीक्षा पटेल (SUDIKSHA PATEL) के स्थान पर अनाया पटेल (ANAYA PATEL) दर्ज किया जावे व भविष्य में मेरी पुत्री को अनाया पटेल (ANAYA PATEL) के नाम से पढ़ा—लिखा व जाना—पहचाना जावे.

आवेदक

(हरिओम पटेल)

पुत्र — श्री मान सिंह पटेल,
निवासी—सोडा का कुआ, जाति का तबेला,
किलागेट, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2492)

नाम परिवर्तन

मैं, वंदना तेकामे पिता जुगल सिंह, निवासी—ग्राम मुड़की माल, पोस्ट जमगांव, थाना शाहपुर, तहसील डिंडोरी, जिला डिंडोरी (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम वन्दना तेकाम है, जो मेरे निर्वाचन परिचय—पत्र में दर्ज है, जो कि सत्य व सही है किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कमलवती दर्ज कर दिया गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा वास्तविक नाम वन्दना तेकाम है। अतः मुझे मेरे सही नाम वंदना तेकाम से पढ़ा एवं जाना जाये।

पुराना नाम

(कमलवती)

(G-2493)

नया नाम

(वंदना तेकाम)।

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री जिसका नाम कोमल पुत्री श्री संजय कुमार है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश कुमाल गौर पुत्री श्री संजय कुमार गौर (Kumal Gour D/o. Sanjay Kumar Gour) अंकित हो गया है। इसी के साथ उक्त आधार कार्ड में पिता का नाम भी संजय कुमार गौर अंकित किया गया है। मेरे पुत्री का सही नाम कोमल है। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र एवं सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम कोमल आत्मज श्री संजय कुमार (Komal D/o Sanjay Kumar) अंकित है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को कोमल के नाम से सभी शिक्षा रिकार्ड, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा तथा पुकारा जावे।

पुराना नाम

(कुमाल गौर)

(Kumal Gour)

(G-2494)

नया नाम

(कोमल)

पुत्री— संजय कुमार

(Komal D/o. Sanjay Kumar).

नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. अनुराधा सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र बराव, निवासी—एच.बी—75, अभिरुचि परिसर, ओल्ड सुभाष नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम "अर्निका सिंह बराव" जिसे मेरे द्वारा बदलकर "अभिनन्दिनी सिंह बराव" किया जा रहा है, भविष्य में मेरी पुत्री इसी नाम से "अभिनन्दिनी सिंह बराव" से जाना—पहचाना जावे एवं समर्त शासकीय, अशासकीय विभागों में भी नया नाम भान्य होगा।

आवेदिका

(अनुराधा सिंह)।

(G-2495)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश अमायरा पटेल (AMAYRA PATEL) अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम सारा पटेल (SARAH PATEL) है। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र में उसका नाम सारा पटेल (SARAH PATEL) अंकित है। मेरी पुत्री को सारा पटेल (SARAH PATEL) के नाम से जाना व पहचाना जाता है।

प्रार्थी

(प्रदीप कुमार पटेल)

पता— 114, वार्ड नं. 12, ट्राइबल हॉस्टल,

रामानुज नगर, तहसील सोहागपुर,

जिला शहडोल (म.प्र.)।

(G-2496)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिल दांगी पिता श्री रमेश चन्द्र, निवासी—ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम इश्वरिया दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम ऐश्वर्या पुत्री अनिल दांगी है जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम ऐश्वर्या (Aishwarya) पुत्री अनिल दांगी (Anil Dangi) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अनिल दांगी).

(G-2497)

नाम परिवर्तन

मैं, सुशील कुमार विश्वकर्मा आत्मज श्री निर्मल कुमार विश्वकर्मा, निवासी—चार मंदिर के पास, हनुमान नगर, नई बस्ती, रघुराज नगर, सतना (म.प्र.). यह कि मेरे द्वारा पूर्व में मेरे पुत्र VED RAJ VISHWAKARMA (वेद राज विश्वकर्मा) का आधार कार्ड बनवाया गया था. यह कि उक्त आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम राज विश्वकर्मा अंकित है, जो कि अधूरा नाम व अंकित जबकि मेरे पुत्र का नाम VED RAJ VISHWAKARMA (वेद राज विश्वकर्मा) है, जो कि सही एवं सत्य है. यह कि अब मैं, अपने पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का पूरा नाम VED RAJ VISHWAKARMA (वेद राज विश्वकर्मा) अंकित करवाना चाहता हूँ, और अब वेदराज विश्वकर्मा के नाम से जाना जाऊंगा.

पुराना नाम

नया नाम

(राज विश्वकर्मा)

(वेदराज विश्वकर्मा).

(G-2498)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री आर.के. शर्मा, निवासी—एयरटेल टॉवर के पास, हिंगलाज कालोनी, कालिका नगर, नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश याशिका शर्मा दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. उसके शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्म प्रमाण—पत्र में सही नाम राधिका शर्मा पुत्री सुनील कुमार शर्मा दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में उसका सही नाम राधिका शर्मा पुत्री सुनील कुमार शर्मा के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(याशिका शर्मा)

(राधिका शर्मा)

(RADHIKA SHARMA)

पिता— सुनील कुमार शर्मा.

(G-2499)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री जिसका जन्म के समय नाम आलिया बी पिता श्री तैयब खां, निवासी—वार्ड नं. 22, चूड़ी मोहल्ला, गंजबासोदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री के दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण—पत्र, स्कूल की अंकसूची में मेरी पुत्री का नाम आलिया बी पिता तैयब खां ही दर्ज है. आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम शाफिया राईन त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को आलिया बी पिता तैयब खां के नाम से जाना एवं पहचाना जाए एवं समस्त अभिलेखों में दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(शाफिया राईन)

(आलिया बी)

(G-2500)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री जिसके दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक दस्तावेज में नाम संगीता देवी पिता श्री ठाकुर प्रसाद, निवासी—म.न.16, खेराबड़ा, झखरावल, जिला सिंगरौली (म.प्र.). दर्ज है. जो कि सत्य व सही है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम सुनीता देवी पटेल पिता ठाकुर प्रसाद पटेल त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को संगीता देवी पिता ठाकुर प्रसाद के नाम से जाना एवं पहचाना जाए एवं समस्त अभिलेखों में दर्ज किया जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(सुनीता देवी पटेल)	(संगीता देवी)
पिता— श्री ठाकुर प्रसाद पटेल	पिता— श्री ठाकुर प्रसाद.
(G-2501)	

नाम परिवर्तन

मैं, दिविजय सिंह (Digvijay Singh) पुत्र श्री सिद्धार्थ सिंह, निवासी—ग्राम भाटी सेंगर, पोस्ट आफिस व तह. मऊगंज, जिला मऊगंज (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम शुभ सिंह (Subh Singh) है व अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम कपिल सिंह (Kapil Singh) है, भविष्य में मेरे पुत्र को कपिल सिंह (Kapil Singh) के नाम से जाना और पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम कपिल सिंह (Kapil Singh) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

प्रार्थी	प्रार्थी
(दिविजय सिंह)	(Digvijay Singh).
(G-2502)	

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक अहिरवार पिता मथुरा प्रसाद अहिरवार, निवासी—ग्राम वनवास, पोस्ट कमरारी, थाना जिगना, तहसील दलिया (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश अन्नू अहिरवार नाम दर्ज हो गया है. जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र एवं अंकसूची में अनुष्का अहिरवार नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय एवं अशासकीय, व्यक्तिगत दस्तावेजों में अनुष्का अहिरवार के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(अन्नू अहिरवार)	(अनुष्का अहिरवार)
(G-2503)	पुत्री— दीपक अहिरवार.

नाम परिवर्तन

मैं, डालचंद जाट पुत्र श्री रेवाराम जाट, निवासी—ग्राम खुड़गांव, तह. खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र का नाम में त्रुटिवश लोहिताक्ष सिंह जाट दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में भी अंकित है, जो कि सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लोहिताक्ष सिंह जाट (Lohitaksh Singh Jat) पुत्र डालचंद जाट (Dalchand Jat) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक	आवेदक
(डालचंद जाट)	(Dalchand Jat).
(G-2504)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र खटीक एवं श्रीमती दिव्या बघेल (खटीक), दोनों निवासी—ग्राम सिली, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.). ने अपनी पुत्री कु. निष्ठा खटीक को पंजीकृत गोदनामा के माध्यम से श्री अर्जुन खटीक एवं श्रीमती सीमा खटीक, निवासी—सूर्यविजय अखाड़ा मोहन नगर, वार्ड सागर, तह. व जिला सागर (म.प्र.). हाल निवासी—ग्राम अजयगढ़, तह. अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) को विधिवत् गोद दे दिया है तथा पंजीकृत गोदनामा के उपरांत कु. निष्ठा खटीक अपने गोद लेने वाले माता—पिता अर्जुन खटीक एवं श्रीमती सीमा खटीक के साथ निवासरत हैं। इस कारण अबसे अर्जुन खटीक एवं श्रीमती सीमा खटीक को कु. निष्ठा खटीक के विधिक माता—पिता के रूप में जाना जावे।

प्राथिर्णी

(कु. निष्ठा खटीक)

श्री अर्जुन खटीक एवं सीमा खटीक
संरक्षण विधिक माता—पिता।

(G-2505)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम खुशबु गडारी (Khushbu Gadari) पिता इन्द्र कुमार (Indra Kumar), निवासी—हृदयनगर, सिहोरा, जबलपुर, (म.प्र.). मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम खुशबु गडारी (Khushbu Gadari) पिता इन्द्र कुमार (Indra Kumar) दर्ज है, लेकिन मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गल्ती से तुलसा बाई (Tulsa Bai) पिता इन्द्र कुमार (Indra Kumar) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में मेरा नाम खुशबु गडारी (Khushbu Gadari) दर्ज किया जाए एवं प्रकाशन के उपरांत मुझे खुशबु गडारी (Khushbu Gadari) पिता इन्द्र कुमार (Indra Kumar) के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(तुलसा बाई)

(Tulsa Bai)

नया नाम

(खुशबु गडारी)

(Khushbu Gadari)

पिता— श्री इन्द्र कुमार (Indra Kumar).

(G-2506)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम परिमिता तिवारी (PARIMITA TIWARI) पिता सुधीर तिवारी (SUDHIR TIWARI), निवासी—म.न. 1384, नागपुर रोड, शास्त्री नगर, त्रिपुरी वार्ड पुरवा, जबलपुर (म.प्र.). मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम परिमिता तिवारी (PARIMITA TIWARI) पिता सुधीर तिवारी (SUDHIR TIWARI) दर्ज है, लेकिन मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलती से खुशी तिवारी (KHUSHI TIWARI) पिता सुधीर तिवारी (SUDHIR TIWARI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में मेरा नाम परिमिता तिवारी (PARIMITA TIWARI) पिता सुधीर तिवारी (SUDHIR TIWARI) दर्ज किया जाए एवं प्रकाशन के उपरांत मुझे परिमिता तिवारी (PARIMITA TIWARI) पिता सुधीर तिवारी (SUDHIR TIWARI) के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(खुशी तिवारी)

(KHUSHI TIWARI)

नया नाम

(परिमिता तिवारी)

(PARIMITA TIWARI)

पिता— श्री सुधीर तिवारी
(SUDHIR TIWARI).

(G-2507)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक सोनी पिता स्व. चोखेलाल सोनी, निवासी—झोपड़ी मनखेड़ी बस्ती, ग्राम पंचायत, मनखेड़ी, जिला जबलपुर (म.प्र.), मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अभिषेक सोनी दर्ज है, जो कि गलत है। मेरा सही नाम दीपक सोनी है। दीपक सोनी एवं अभिषेक सोनी उक्त दोनों नाम मेरे याने एक ही व्यक्ति के हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम दीपक सोनी के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(दीपक सोनी)

पिता—स्व. श्री चोखेलाल सोनी।

(G-2508)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम रवीना (RAVINA) आधार कार्ड में दर्ज है, जो गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक नाम शीतल वास्कले पिता श्री मुकेश वास्कले, निवासी—ग्राम कुमारबेड़ी, पोस्ट सिरवेल, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में पूर्व में दर्ज नाम ‘रवीना (RAVINA)’ के स्थान पर वास्तविक एवं समाज में सम्बोधित प्रचलित नाम शीतल वास्कले पिता श्री मुकेश वास्कले (SHITAL WASKALE S/o MUKESH WASKALE) से ही जाना एवं पहचाना जावे।

आवेदक

(G-2509)

(मुकेश वास्कले)।

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेखा धनवारे पत्नि महेश धनवारे, निवासी—वार्ड क्रमांक 04, रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम महिमा पुत्री सुरेश दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री के अन्य सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम इशिका धनवारे पुत्री महेश धनवारे ही अंकित है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम इशिका धनवारे पुत्री महेश धनवारे है। जिसे भविष्य में सभी प्रकार के अभिलेखों प्रमाण—पत्रों में इसी नाम से सर्वभित जाये।

प्रार्थिनी

(सुरेखा धनवारे)।

(G-2510)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रीति दीपांकर पुत्री स्व. विजय शंकर दीपांकर, निवासी—वार्ड नंबर—14, पम्प हाऊस के पास, संजय नगर, समान रीवा, पुलिस थाना समान, तहसील हुजूर नगर, रीवा, जिला रीवा (म.प्र.). मेरा नाम प्रीति दीपांकर है जो मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों व अन्य दस्तावेजों में लेख है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पूर्व में प्रीति दीपांकर दर्ज था, जो त्रुटिवश नेहा दीपांकर हो गया है, जबकि मेरा सही नाम प्रीति दीपांकर है, अतः प्रकाशन उपरांत मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा, दर्ज किया जावे।

भवदीय

(प्रीति दीपांकर)

पुत्री—स्व. विजय शंकर दीपांकर।

(G-2511)

नाम परिवर्तन

मैं, करन सिंह परिहार पुत्र छीते सिंह ठाकुर, निवासी—ग्राम पहाड़ी वक्सी, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में ब्रिटिवश उसका नाम जुली ठाकुर पुत्री करन सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम प्रेन्सी परिहार (Prensi Parihar) पुत्री करन सिंह (Karan Singh) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रेन्सी परिहार (Prensi Parihar) पुत्री करन सिंह (Karan Singh) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-2512)

(करन सिंह).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं, कि M/s Divyalaya and company के नाम से हमारी एक भागीदारी फर्म है, जिसका रजिस्ट्रेशन न. 04-21-01-00065-06, दिनांक 8 सितम्बर 2006 है. इस फर्म में दिनांक 4 अप्रैल 2024 को पुनर्गठन हुआ है. इस फर्म में दिनांक 4 अप्रैल 2024 को एक भागीदार श्रीमती निशा जैन पति श्री अशोक जैन, निवासी—इतवारी बाजार, बालाघाट, तह. एवं जिला बालाघाट (म.प्र.)—481001 शामिल हो रहे हैं. इस फर्म से दिनांक 4 अप्रैल 2024 को एक भागीदार श्री कमलेश जैन पिता श्री गौतम चन्द जैन, निवासी—प्रेम नगर, बालाघाट, तह. व जिला बालाघाट (म.प्र.)—481001 निकल रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 4 अप्रैल 2024 से संशोधन के उपरांत दो साझेदार (1) श्री अशोक जैन पिता स्व. श्री फूलचन्द जैन, निवासी—इतवारी बाजार, बालाघाट, तह. जिला बालाघाट (म.प्र.)—481001, (2) श्रीमति निशा जैन पति श्री अशोक जैन, निवासी—इतवारी बाजार, बालाघाट, तह. व जिला बालाघाट (म.प्र.)—481001 इस फर्म का संचालन कर रहे हैं.

Divyalaya and company

अशोक जैन

(भागीदार).

(G-2513)

नाम परिवर्तन

मैं, अमित कुमार झा (AMIT KUMAR JHA) पुत्र श्री सुहास चंद्र झा मेरा पूर्व का नाम अमित कुमार (AMIT KUMAR) था. जो मेरे पैन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अमित कुमार झा पुत्र श्री सुहास चंद्र झा के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अमित कुमार झा एवं अमित कुमार दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत अमित कुमार के स्थान पर अमित कुमार झा पुत्र श्री सुहास चंद्र झा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(अमित कुमार)

(अमित कुमार झा)

(G-2514)

पुत्र— श्री सुहास चंद्र झा

पता—135, स्नेह नगर, रतलाम (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, लाखापति कंजर (LAKHAPATI KANJAR) पत्नी श्री राजे मेरा पूर्व का नाम चंद्र कली (CHANDRA KALI) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, लाखापति कंजर पत्नी श्री राजे के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। लाखापति कंजर एवं चंद्र कली, दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम चंद्र कली के स्थान पर लाखापति कंजर लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम (चंद्र कली)	नया नाम (लाखापति कंजर) पत्नी— श्री राजे पता—173, ग्राम सनोरा, बडौनीखुर्द, दतिया (म.प्र.).
(G-2515)	

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश जीवनानी (RAJESH JIVNANI) पुत्र स्व. श्री विजय कुमार जीवनानी, मेरा पूर्व का नाम राजेन्द्र कुमार जीवनानी (RAJENDRA KUMAR JIVNANI) था। जो मेरे लाइफ इन्स्योरेंस, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, राजेश जीवनानी पुत्र स्व. श्री विजय कुमार जीवनानी के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है राजेश जीवनानी एवं राजेन्द्र कुमार जीवनानी दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे लाइफ इन्स्योरेंस, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजेन्द्र कुमार जीवनानी के स्थान पर राजेश जीवनानी लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम (राजेन्द्र कुमार जीवनानी)	नया नाम (राजेश जीवनानी) पुत्र— स्व. श्री विजय कुमार जीवनानी पता—सात भाई की गोंठ, सब्जी मंडी, माधवगंज, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).
(G-2516)	

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी बिरला (LAXMI BIRLA) पत्नी श्री श्याम कुमार बिरला मेरा पूर्व का नाम रीना (RINA) था। जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, लक्ष्मी बिरला पत्नी श्री श्याम कुमार बिरला के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, लक्ष्मी बिरला एवं रीना दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे रीना के स्थान पर लक्ष्मी बिरला लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम (रीना)	नया नाम (लक्ष्मी बिरला) पत्नी— श्री श्याम कुमार बिरला पता— 33 के, बड़गांव, खरगोन (म.प्र.).
(G-2517)	

नाम परिवर्तन

मैं, द्रव्य जैन (DRAVYA JAIN) पुत्र श्री वर्धन कुमार जैन, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मास्टर विष्णु (MAST. VISHNU) था जो मेरे पिता की बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, द्रव्य जैन पुत्र श्री वर्धन कुमार जैन के नाम से जाना—पहचाना जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है द्रव्य जैन एवं मास्टर विष्णु दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे पिता की बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मास्टर विष्णु के स्थान पर द्रव्य जैन लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(मास्टर विष्णु)

नया नाम

(द्रव्य जैन)

पुत्र— श्री वर्धन कुमार जैन
पता— विहाइन्ड कैलाश टॉकिज, एनआर
गंगवाल भवन, चीत्रगुप्तगंज, लक्ष्मण
ग्वालियर (म.प्र.)

(G-2518)

नाम परिवर्तन

मैं, अंशुल त्रिपाठी (ANSHUL TRIPATHI) पुत्र श्री ब्रह्मा बहादुर त्रिपाठी, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अंशुल ब्रह्मा त्रिपाठी (ANSHUL BRAHMA TRIPATHI) लिख गया है जो गलत है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अंशुल त्रिपाठी पुत्र श्री ब्रह्मा बहादुर त्रिपाठी के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अंशुल ब्रह्मा त्रिपाठी (ANSHUL BRAHMA TRIPATHI) के स्थान पर अंशुल त्रिपाठी (ANSHUL TRIPATHI) लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(अंशुल ब्रह्मा त्रिपाठी)

नया नाम

(अंशुल त्रिपाठी)

पुत्र— श्री ब्रह्मा बहादुर त्रिपाठी
पता— 48, बलवंत नगर, गॉधी रोड,
शांति टेरिस एंड गिर्द, आर.के. पुरी
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2519)

नाम परिवर्तन

मैं, नेहा अग्रवाल (NEHA AGRAWAL) पत्नी श्री कपिल अग्रवाल, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम गोरी मंगल (GAURI MANGAL) एवं नेहा मंगल (NEHA MANGAL) था जो मेरे म्यूच्यूअल फंड, शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, नेहा अग्रवाल पत्नी श्री कपिल अग्रवाल के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है नेहा अग्रवाल एवं गोरी मंगल और नेहा मंगल तीनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे म्यूच्यूअल फंड शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम गोरी मंगल एवं नेहा मंगल के स्थान पर नेहा अग्रवाल लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(गोरी मंगल)

नया नाम

(नेहा अग्रवाल)

पत्नी— श्री कपिल अग्रवाल
पता— तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2520)

नाम परिवर्तन

मैं, यशपाल सिंह (YASHPAL SINGH) पुत्र श्री हुकुम सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम यशपाल तोमर (YESHPAL TOMAR) था। जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, यशपाल सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, यशपाल सिंह एवं यशपाल तोमर दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम यशपाल तोमर के स्थान पर यशपाल सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(यशपाल तोमर)

(G-2521)

नया नाम
(यशपाल सिंह)
पुत्र— श्री हुकुम सिंह
पता— पाताली हनुमान, तानसेन रोड,
ग्वालियर (म.प्र.).

मैं, संध्या शर्मा (SANDHYA SHARMA) पत्नी श्री मनोज शर्मा, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सोना बाई (SONA BAI) था जो मेरी बीमा पॉलिसी, वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, संध्या शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, संध्या शर्मा एवं सोना बाई दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी बीमा पॉलिसी, वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सोना बाई के स्थान पर संध्या शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(सोना बाई)

नया नाम
(संध्या शर्मा)
पत्नी — श्री मनोज शर्मा
पता— शुक्ला डेरी के पास, बुजुर्ग रोड,
मंदिर बाली गली, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2522)

नाम परिवर्तन

मैं पुष्पेन्द्र कुशवाह (PUSHPENDRA KUSHWAH) पुत्र श्री रवि कुशवाह, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम पूरन (POORAN) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, पुष्पेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री रवि कुशवाह के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। पुष्पेन्द्र कुशवाह एवं पूरन दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम पूरन के स्थान पर पुष्पेन्द्र कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(पूरन)

नया नाम
(पुष्पेन्द्र कुशवाह)
पुत्र — श्री रवि कुशवाह
पता— 157, न्यू रेल्वे कॉलोनी, तानसेन रोड,
हॉकी स्टेडियम, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2523)

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम विनीता (VINITA) पति श्री अर्जुन सिंह है, जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आई.डी. एवं बिजली के बिल पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम अनीता (ANITA) पति अर्जुन सिंह दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर अनीता (ANITA) के स्थान पर विनीता (VINITA) पति श्री अर्जुन सिंह लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (अनीता) (ANITA)	नया नाम (विनीता) (VINITA)
	पति— श्री अर्जुन सिंह पता— 77 बी, अयोध्या पुरी कॉलोनी, कोदरिया महू, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2524)

उपनाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम ओमप्रकाश श्रीवास (OMPRAKASH SHRIWAS S/o LAXMINARAYAN SHRIWAS) पिता श्री लक्ष्मीनारायण श्रीवास है, जो कि मेरे वोटर कार्ड एवं सर्विस रिकार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम ओमप्रकाश (OMPRAKASH) पिता श्री लक्ष्मीनारायण दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर ओमप्रकाश श्रीवास (OMPRAKASH SHRIWAS S/O LAXMINARAYAN SHRIWAS) पिता श्री लक्ष्मीनारायण श्रीवास लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (ओमप्रकाश) (OMPRAKASH)	नया नाम (ओमप्रकाश श्रीवास) (OMPRAKASH SHRIWAS)
	पिता— श्री लक्ष्मीनारायण श्रीवास पता— 89, चापडा, देवास (म.प्र.).

(G-2525)

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम नंदू ज्ञानदेव पद्माने (NANDU GYANDEV PADMANE) पिता श्री प्रभाकर पद्माने है, जो की मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मेरे वोटर कार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटीवश मेरा अध्यरा नाम ज्ञानदेव पद्माने (GYANDEV PADMANE) दर्ज हो गया है, नंदू ज्ञानदेव पद्माने एवं ज्ञानदेव पद्माने दोनों नाम मेरे ही हैं। अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर ज्ञानदेव पद्माने के स्थान पर नंदू ज्ञानदेव पद्माने (NANDU GYANDEV PADMANE) लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (ज्ञानदेव पद्माने) (GYANDEV PADMANE)	नया नाम (नंदू ज्ञानदेव पद्माने) (NANDU GYANDEV PADMANE)
	पिता— श्री प्रभाकर पद्माने पता— 110, नयापुरा, हुजूरगंज एयरपोर्ट रोड, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-2526)

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम गिरधर सांखला (GIRDHAR SANKHLA) पिता नरसिंग सांखला है, जो कि मेरे बोटर कार्ड एवं कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम गिरधर (GIRDHAR) पिता नरसिंग एवं आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम गिरधारी सांखला (GIRADHARI SANKHLA) पिता श्री नरसिंग सांखला दर्ज हो गया है। अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर गिरधर एवं गिरधारी सांखला के स्थान पर गिरधर सांखला (GIRDHAR SANKHLA) पिता श्री नरसिंग सांखला लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम (गिरधारी सांखला) (GIRADHARI SANKHLA)	नया नाम (गिरधर सांखला) (GIRDHAR SANKHLA) पिता— श्री नरसिंग सांखला पता— 42, रिंजलाई, गांधी नगर, इन्दौर (म.प्र.).
(G-2527)	

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम नीतू सिंह कुशवाह (NEETU SINGH KUSHWAH) पिता श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है। श्री श्याम सिंह तोमर से विवाह के उपरान्त मेरा नाम सौम्या सिंह तोमर (SOUMYA SINGH TOMAR) पति श्री श्याम सिंह तोमर हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड, बोटर कार्ड पर अंकित है। अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम सौम्या सिंह तोमर (SOUMYA SINGH TOMAR) पति श्री श्याम सिंह तोमर के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम (नीतू सिंह कुशवाह) (NEETU SINGH KUSHWAH)	नया नाम (सौम्या सिंह तोमर) (SOUMYA SINGH TOMAR) पति— श्री श्याम सिंह तोमर पता— 65, क्लर्क कॉलोनी, एक्सटेंशन इन्दौर (म.प्र.).
(G-2528)	

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दुर्गेश जाधम (DURGESH JADHAM) पिता श्री मनोज जाधम था, जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, बोटर कार्ड, बीमा पॉलिसी एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर दुर्गेश जाधम (DUGESH JADHAM) पिता श्री मनोज जाधम कर लिया है। जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम अमित जाधम (AMIT JADHAM) दर्ज हो गया है। अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर दुर्गेश जाधम एवं अमित जाधम के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम दुर्गेश जाधम (DUGESH JADHAM) पिता श्री मनोज जाधम लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम (दुर्गेश जाधम) (DURGESH JADHAM)	नया नाम (दुर्गेश जाधम) (DUGESH JADHAM) पिता— श्री मनोज जाधम पता— 295, पंचमुर्ति नगर, इन्दौर (म.प्र.).
(G-2529)	

नाम परिवर्तन

मैं, प्रभुलाल खून्डिया (Prabhulal Khundiya) पुत्र श्री दयाराम, मेरा पुत्र आशीष खून्डिया (Ashish Khundiya) है जिसके आधार कार्ड में उसका नाम मुन्ना (Munna) केरार ऑफ (माता) श्यामाबाई (Shyama Bai) अंकित है, जो गलत है। मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम आशीष खून्डिया (Ashish Khundiya) पुत्र प्रभुलाल खून्डिया (Prabhulal Khundiya) एवं श्रीमती सीमा बाई (Seema Bai) है, वह इसी नाम से जाना—पहचाना जाता है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को आशीष खून्डिया (Ashish Khundiya) पुत्र प्रभुलाल खून्डिया (Prabhulal Khundiya) एवं श्रीमती सीमा बाई (Seema Bai) के नाम से जाना—पहचाना, एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

आवेदक

(प्रभुलाल खून्डिया)

(PRABHULAL KHUNDIYA)

पता— ग्राम करेडी, राजगढ़ (म.प्र.)

(G-2530)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सुरेश राव भोन्डवे (Suresh Rao Bhondve) पुत्र यशवंत राव भोन्डवे (Yashwant Rao Bhondve), निवासी—44, भागीरथ कॉलोनी, धारनाका, महू, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड/दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश राव (Suresh Rao) पुत्र यशवंत राव भोन्डवे (Yashwant Rao Bhondve) अंकित है, मेरा उपनाम/सरनेम अंकित नहीं है, मेरा पूरा नाम सुरेश राव भोन्डवे (Suresh Rao Bhondve) पुत्र यशवंत राव भोन्डवे (Yashwant Rao Bhondve) है, मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुरेश राव भोन्डवे (Suresh Rao Bhondve) पुत्र यशवंत राव भोन्डवे (Yashwant Rao Bhondve), के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

नया नाम

(सुरेश राव)

(सुरेश राव भोन्डवे)

(Suresh Rao)

(Suresh Rao Bhondve)

पुत्र— यशवंत राव भोन्डवे

(Yashwant Rao Bhondv).

(G-2531)

नाम परिवर्तन

मैं, चांद मिया (Chand Miya) पुत्र बन्ने (Banne). निवासी—वार्ड नं. ०६, इंगिलशपुरा, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बिलाल खान (Bilal Khan) पुत्र बन्ने (Banne) अंकित है, किंतु मेरा सही नाम चांद मिया (Chand Miya) पुत्र बन्ने (Banne) है, मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे चांद मिया (Chand Miya) पुत्र बन्ने (Banne) के नाम से जाना—पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

नया नाम

(बिलाल खान)

(चांद मिया)

(Bilal Khan)

(Chand Miya)

पुत्र— बन्ने

(Banne).

(G-2532)

नाम परिवर्तन

मैं, चेचनलाल बैरागी (CHECHANLAL BAIRAGI) पिता स्व. शीतल दास बैरागी, निवासी—म.नं. 789 के, पी 48 / 3, सैनिक सोसायटी रोड, साई बारात घर के सामने, बदनपुर एरिया, शक्तिनगर, पोर्ट ऑफिस गुप्तेश्वर, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम चेचनलाल बैरागी (CHECHANLAL BAIRAGI) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शिक्षा संबंधित प्रमाण—पत्रों में मेरा नाम चेचन लाल बैरागी (CHECHAN LAL BAIRAGI) दर्ज है। मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम चेचनलाल बैरागी (CHECHAN LAL BAIRAGI) के स्थान पर सही नाम चेचन लाल बैरागी (CHECHAN LAL BAIRAGI) संशोधित कर दर्ज करवाना चाहता हूँ अतः मुझे चेचन लाल बैरागी (CHECHAN LAL BAIRAGI) पिता स्व. शीतल दास बैरागी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(चेचनलाल बैरागी)

(चेचन लाल बैरागी)

(CHECHANLAL BAIRAGI)

(CHECHAN LAL BAIRAGI).

(G-2533)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार पिता स्व. प्रेमवल्लभ जोशी, निवासी — क्वार्टर नं. एच—सी 24, डबल स्टोरी, 6वीं बटालियन, एस.ए.एफ. रांझी, जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मनोज कुमार पिता प्रेमवल्लभ जोशी दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मेरे एस.बी.आई. बैंक पासबुक में मेरा नाम मनोज जोशी (MANOJ JOSHI) पिता प्रेमवल्लभ जोशी दर्ज है। मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम मनोज कुमार पिता प्रेमवल्लभ जोशी के स्थान पर सही नाम मनोज जोशी (MANOJ JOSHI) पिता प्रेमवल्लभ जोशी संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ अतः मुझे मनोज जोशी (MANOJ JOSHI) पिता प्रेमवल्लभ जोशी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(मनोज कुमार)

(मनोज जोशी)

(MANOJ JOSHI).

(G-2534)

उपनाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा नाम शिव किशोर कुशवाहा (SHIV KISHORE KUSHWAHA) है मेरी सर्विस—पुस्तिका में मेरा नाम शिव किशोर (SHIV KISHORE) है, अतः प्रकाशन उपरांत शिव किशोर कुशवाहा (SHIV KISHORE KUSHWAHA) के नाम से जाना—पहचाना जाऊँगा।

पुराना नाम

नया नाम

(शिव किशोर)

(शिव किशोर कुशवाहा)

(SHIV KISHORE)

(SHIV KISHORE KUSHWAHA).

(G-2535)

नाम परिवर्तन

मैं, बलसिंह कैलाशिया आत्मज – श्री गुलाब सिंह, निवासी—बकरी पुल, कस्बा, सीहोर (म.प्र.). यह कि त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बलदेव सिंह कैलाशिया (BALDEV SINGH KAILASIYA), दर्ज हो गया, जो कि त्रुटिपूर्ण हैं. जबकि मेरा सही नाम बलसिंह कैलाशिया (BAL SINGH KAILASHIYA) है जो कि मेरे मतदाता कार्ड में दर्ज है. यह कि मैं, वर्तमान में बलसिंह कैलाशिया (BALSINGH KAILASHIYA) के नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा.

पुराना नाम
 (बलदेव सिंह कैलाशिया)
 (BALDEV SINGH KAILASIYA)
 (G-2536)

नया नाम
 (बलसिंह कैलाशिया)
 (BALSINGH KAILASHIYA).

उपनाम परिवर्तन

मैं, टन्टी यादव पिता श्री धन्नू यादव, निवासी—मकान सं. 60, हॉस्पिटल मोहल्ला, मूँ कोदारोटी, पोस्ट गढ़ा, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरा नाम टन्टी (TANTI) शासकीय सेवा रिकार्ड में दर्ज है जबकि मेरा सही नाम टन्टी यादव (TANTI YADAV) है, जो कि मेरा आधार कार्ड, पेन कार्ड में दर्ज है, यह कि मैं, वर्तमान में टन्टी यादव (TANTI YADAV) नाम से जाना जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा.

पुराना नाम
 (टन्टी)
 (TANTI)
 (G-2537)

नया नाम
 (टन्टी यादव)
 (TANTI YADAV).

उपनाम परिवर्तन

मैं, उषा महार पुत्री श्री श्रवण, निवासी—मकान नंबर—223, अम्बेडकर नगर, माता मंदिर के पास, साउथ टी टी नगर, भोपाल (म.प्र.). यह कि त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम उषा रावत (USHA RAWAT) पुत्री श्री प्रताप सिंह रावत (PRATAP SINGH RAWAT) दर्ज हो गया, जो कि त्रुटिपूर्ण हैं. जबकि मेरा सही नाम उषा महार (USHA MAHAR) पुत्री श्री श्रवण (SHRAVAN) है, जो कि मेरे मतदाता कार्ड में दर्ज है. यह कि मैं, वर्तमान में उषा महार (USHA MAHAR) पुत्री श्री श्रवण (SHRAVAN) नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊँगी.

पुराना नाम
 (उषा रावत)
 (USHA RAWAT)
 पुत्री— श्री प्रताप सिंह रावत
 (PRATAP SINGH RAWAT)
 (G-2538)

नया नाम
 (उषा महार)
 (USHA MAHAR)
 पुत्री— श्री श्रवण
 (SHRAVAN).

उपनाम परिवर्तन

मैं, नीलोफर मंसूरी पत्नी श्री हमीद, निवासी—ग्राम चिंतान्पुरा, पोस्ट गुराड़ीया वर्मा, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नीलोफर (NILOFAR) दर्ज हो गया, जो कि त्रुटिपूर्ण हैं. जबकि मेरा सही नाम नीलोफर मंसूरी (NILOFAR MANSURI) है, जो कि मेरे अंकसूची व मेरे विभाग के आदेश—पत्र पर अंकित है, यह कि मैं, वर्तमान में नीलोफर मंसूरी (NILOFAR MANSURI) नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जाउंगी.

पुराना नाम	नया नाम
(नीलोफर)	(नीलोफर मंसूरी)
(NILOFAR)	(NILOFAR MANSURI).

(G-2539)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रीतम सिंह अहिरवार पुत्र भोलाराम अहिरवार, निवासी—ग्राम चिकली, तह. उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम "सौरभ अहिरवार (SOURABH AHIRWAR)" इन्द्राज है, जो सत्य एवं सही है. मेरे उक्त पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश शैतान अहिरवार (SAITAN AHIRWAR) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत से उसका सही नाम "सौरभ अहिरवार (SOURABH AHIRWAR)" लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक	(प्रीतम सिंह अहिरवार).
-------	------------------------

(G-2540)

उपनाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम नेहिका पति राहुल चौधरी है. जिसे सुधारकर मैंने मेरा नाम नेहिका चौधरी (NEHIKA CHOUDHARY) पति राहुल चौधरी रख लिया है. अतः मुझे भविष्य में मेरे सही नाम नेहिका चौधरी (NEHIKA CHOUDHARY) के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नेहिका)	(नेहिका चौधरी)
पति—राहुल चौधरी	(NEHIKA W/o RAHUL CHOUDHARY)
(G-2541)	पता— 300 मेंडकी चक, देवास, तह. व जिला देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरे परिचय—पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंकसूची, बैंक पासबुक, स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, राशन कार्ड, समग्र आई.डी एवं अन्य दस्तावेजों पर मेरा नाम मधु आर्या पुत्री जयराम आर्या लिखा हुआ है. मेरे विवाह उपरांत मैंने अपना नाम/उपनाम परिवर्तन कर लिया है. अब मेरा नाम मायरा सिंधवानी पत्नी श्री हर्ष सिंधवानी हो गया है. अतः भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अद्वशासकीय, शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मायरा सिंधवानी पत्नी श्री हर्ष सिंधवानी के नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मधु आर्या)	(मायरा सिंधवानी)
(G-2542)	पता— सिंडीकेट केनरा बैंक के सामने, स्वर्णकार कॉलोनी, विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रुपेंद्र शर्मा (RUPENDRA SHARMA) है, जिसे सुधारकर मैंने अपना नया नाम घनश्याम दास महात्यागी (GHANSHYAM DAS MAHATYAGI) आत्मज राघवदास महात्यागी रख लिया है, अतः भविष्य मैं, मुझे नये नाम घनश्याम दास महात्यागी (GHANSHYAM DAS MAHATYAGI) के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम (रुपेंद्र शर्मा) (RUPENDRA SHARMA)	नया नाम (घनश्याम दास महात्यागी) (GHANSHYAM DAS MAHATYAGI)
	पुत्र— राघवदास महात्यागी पता— 15 त्यागी आश्रम, त्यागी नगर, गिर्द मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2543)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड मे भूल व त्रुटिवश नाम सोम प्रताप सिंह (SOM PRATAP SINGH) लिखा गया है, जिसे सुधारकर मैंने मेरे पुत्र का नाम वेदांश सिंह भदौरिया (VEDANSH SINGH BHADORIYA) आत्मज— सतीश सिंह भदौरिया रख लिया है अत भविष्य मैं मेरे पुत्र को वेदांश सिंह भदौरिया (VEDANSH SINGH BHADORIYA) के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम (सोम प्रताप सिंह) (SOM PRATAP SINGH)	नया नाम (वेदांश सिंह भदौरिया) (VEDANSH SINGH BHADORIYA)
	पुत्र— सतीश सिंह भदौरिया पता— सैनिक कॉलोनी, पिन्टोपार्क, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2544)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती चन्द्रकांता सिंह ठाकुर पत्नी स्व. ललित सिंह ठाकुर, मेरे आधार कार्ड और पेन कार्ड मैं मेरा नाम चन्द्रकांता सिंह लिखा गया है जो कि पूर्णतः गलत है. मेरा स्वयं का पूरा नाम चन्द्रकांता सिंह ठाकुर पत्नी स्व. श्री ललित सिंह ठाकुर है जो कि पूर्णतः सही है और मुझे वर्तमान मैं भी चन्द्रकांता सिंह ठाकुर नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम (चन्द्रकांता सिंह)	नया नाम (चन्द्रकांता सिंह ठाकुर)
	पता— डी-82, त्रिभुवन विहार, बर्रई रोड, कटारा हिल्स, भोपाल (म.प्र.).

(G-2545)

नाम परिवर्तन

मैं, लोमश रैकवार मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम लोमेश रैकवार (LOMESH RAIKWAR) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरा सही नाम लोमश रैकवार (LOMASH RAIKWAR) है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम लोमश रैकवार (LOMASH RAIKWAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम (लोमेश रैकवार) (LOMESH RAIKWAR) (G-2546)	नया नाम (लोमश रैकवार) (LOMASH RAIKWAR) पिता— श्री हरि राम रैकवार पता— वार्ड नं.—04, ब्राइट केरियर स्कूल के पास, मोहन गिरि, जिला विदिशा (म.प्र.)。
--	---

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश गोपी (GOPI) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्म प्रमाण—पत्र में सही नाम इशिका चंद्रवंशी (ISHIKA CHANDRAWANSHI) हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम इशिका चंद्रवंशी (ISHIKA CHANDRAWANSHI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम (गोपी) (GOPI) (G-2547)	नया नाम (इशिका चंद्रवंशी) (ISHIKA CHANDRAWANSHI) पिता— महेश चंद्रवंशी पता— ग्राम कचनारिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.)。
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, मुन्ना लाल मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हरनाम सिंह रघुवंशी (HARNAM SINGH RAGHUWANSI) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरा सही नाम मुन्ना लाल (MUNNA LAL) है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम मुन्ना लाल (MUNNA LAL) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम (हरनाम सिंह रघुवंशी) (HARNAM SINGH RAGHUWANSI) (G-2548)	नया नाम (मुन्ना लाल) (MUNNA LAL) पिता— सुखराम पता— खेरुआ हाट, लश्करपुर, जिला विदिशा (म.प्र.)。
---	--

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश पूजा भील (POOJA BHEEL) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्म प्रमाण—पत्र में सही नाम शिवानी सहरिया (SHIVANI SAHARIYA) है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम शिवानी सहरिया (SHIVANI SAHARIYA) के नाम से सभी शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(पूजा भील)	(शिवानी सहरिया)
(POOJA BHEEL)	(SHIVANI SAHARIYA)
(G-2549)	पिता— रूप सिंह पता— बालमपुर, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र अजय अहिरवार का नाम गलती से आधार कार्ड में लखन अहिरवार लिख गया है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज में सही नाम अजय अहिरवार है। अतः मेरे बेटे को अजय अहिरवार के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

आवेदक	(बलराम)
	निवासी— खमकुआ, पोस्ट विदवास,
(G-2550)	जिला सागर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश प्रजापति आत्मज—श्री रामबगस प्रजापति, निवासी—ग्राम जौध, तह. बीना, जिला सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम श्रद्धा दर्ज हो गया है जो कि मुंह बोला नाम है जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं स्कूल की अंकसूची में नाम ऋषिका प्रजापति (RISHIKA PRAJAPATI) है जो कि सही है। भविष्य में इसी नाम से जाना जाए एवं इसे ही दर्ज किया जाए।

आवेदक	(मुकेश प्रजापति).
(G-2551)	

उपनाम परिवर्तन

मैं, रोशन लाल जाटव पुत्र श्री देवीशंकर, निवासी— 217, शिवांश पेराडाईस, ग्राम सुरासा, तहसील घटिया, जिला उज्जैन (म.प्र.). सूचित करता हूं कि भविष्य में मुझसे संबंधित हर प्रकार के दस्तावेजों में मेरा उपनाम लाल जाटव की जगह ललावत लिखा एवं पुकारा जावे। सूचनार्थ: अब भविष्य में रोशन लाल जाटव की जगह पर रोशन ललावत नाम लिखा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(रोशन लाल जाटव)	(रोशन ललावत).
(G-2552)	

नाम परिवर्तन

मैं, बृजेश कुमार व्यास आत्मज श्री विजय कुमार व्यास निवासी-10, नेताजी मार्ग, वार्ड-12, ब्राह्मण मोहल्ला कसरावद खरगोन (म.प्र.). मेरी पुत्री अमूल्या व्यास का नाम उसके दस्तावेज (आधार कार्ड) मे त्रुटिवश खुशी पुत्री श्री बृजेश कुमार व्यास अंकित है, जिसे बदलकर उसका वास्तविक नाम अमूल्या व्यास पुत्री श्री बृजेश कुमार व्यास किया जाना है। अतः प्रकाशन उपरांत से मेरी पुत्री को उसके वास्तविक नाम अमूल्या व्यास पुत्री श्री बृजेश कुमार व्यास (AMULYA VYAS D/o SHRI BRIJESH KUMAR VYAS) के नाम से जाना और पहचाना जाए।

आवेदक

(बृजेश कुमार व्यास).

(G-2553)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र सागर रजक (SAGAR RAJAK) का नाम आधार कार्ड में समर रजक (SAMAR RAJAK) लिखा चला आ रहा है व अन्य दस्तावेज जन्म प्रमाण—पत्र में मेरे पुत्र का नाम सागर रजक (SAGAR RAJAK) दर्ज है। जो कि एक ही व्यक्ति के नाम है भविष्य में मेरे पुत्र के समर्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, व्यक्तिगत दस्तावेजों में सागर रजक (SAGAR RAJAK) के नाम से जाना—पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(समर रजक)

(SAMAR RAJAK)

नया नाम

(सागर रजक)

(SAGAR RAJAK).

(G-2554)

नाम परिवर्तन

मैं, हीरा लाल पटेल (Hira Lal Patel) पुत्र स्व. श्री राजमणि पटेल (Rajmani Patel), निवासी-246, पहरखा पोस्ट पहरखा, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम Hiralal Patel पुत्र Rajmani Patel अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम हीरा लाल पटेल (Hira Lal Patel) पुत्र स्व. श्री राजमणि पटेल (Rajmani Patel) है। मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ, मेरा यही नाम प्रचलन में है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे हीरा लाल पटेल (Hira Lal Patel) पुत्र स्व. श्री राजमणि पटेल (Rajmani Patel) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(Hiralal Patel)

पुत्र—Rajmani Patel

नया नाम

(हीरा लाल पटेल)

(Hira Lal Patel)

पुत्र— स्व. श्री राजमणि पटेल.

(Rajmani Patel).

(G-2555)

नाम परिवर्तन

मैं, गमलास बुवाडे (Gamalas Buwade) पुत्र श्री पुन्या (Punya), निवासी-21, प.ह.नं. 48, परसाठानी, ग्राम परसाठानी, करपा शाखा डाकघर, मुलताई बैतूल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कमलेश पवार (Kamlesh Pawar) पुत्र श्री पुनिया पवार (Puniya Pawar) अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम गमलास बुवाडे (Gamalas Buwade) पुत्र श्री पुन्या (Punya) है, मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे गमलास बुवाडे (Gamalas Buwade) पुत्र श्री पुन्या (Punya) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(कमलेश पवार)	(गमलास बुवाडे)
(Kamlesh Pawar)	(Gamalas Buwade)
पुनिया पवार (Puniya Pawar)	पुत्र— श्री पुन्या (Punya).
(G-2556)	

नाम परिवर्तन

मैं, जीवन सिंह (Jivan Singh) पुत्र श्री तरवर सिंह सोनगरा मेरा पुत्र हंसराज सिंह सोनगरा (Hansraj Singh Songara) जिसके आधार कार्ड में उसका नाम अंशु राजपूत (Anshu Rajput) आत्मज जीवन सिंह राजपूत (Jeevan Singh Rajput) एवं माता रेखाकुंवार (Rekhakunwar) अंकित है, मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम हंसराज सिंह सोनगरा (Hansraj Singh Songara) पुत्र जीवन सिंह (Jivan Singh) एवं माता श्रीमती रेखा कुंवर (Rekha Kunwar) है वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र हंसराज सिंह सोनगरा (Hansraj Singh Songara) पुत्र जीवन सिंह (Jivan Singh) एवं माता श्रीमती रेखा कुंवर (Rekha Kunwar) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक	पता— ग्राम भंडावद, पोर्ट काशिखेड़ी, तहसील जीरापुर, काढी खेड़ी, राजगढ़ (म.प्र.).
(जीवन सिंह)	(Jivan Singh)
(G-2557)	

नाम परिवर्तन

मैं, रामकेश (Ramkesh) पुत्र श्री हल्के मेरा पुत्र देव कुमार गौड (Dev Kumar Gond) है जिसके आधार कार्ड में उसका नाम नमन (Naman) पुत्र रामकेश (Ramkesh) अंकित है जो कि सही नहीं है, मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम देव कुमार गौड (Dev Kumar Gond) पुत्र रामक्रेश (Ramkresh) है वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को देव कुमार गौड (Dev Kumar Gond) पुत्र रामक्रेश (Ramkresh) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक	पता— वार्ड नं. 05, करमोदी, गैरतगंज करमोदी, देवरीगंज, तह. गैरतगंज रायसेन (म.प्र.).
(रामकेश)	(Ramkesh)
(G-2558)	

नाम परिवर्तन

मैं, राम भगत गौर (Ram Bhagat Gaur) पुत्र श्री मुन्नी लाल गौर (Munnee Lal Gaur), निवासी— ई—6, म.नं. 7, सांई बाबा नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भगतराम गौर (Bhagatram Gaur) पुत्र श्री मुन्नी लाल गौर (Munni Lal Gaur) अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम राम भगत गौर (Ram Bhagat Gaur) पुत्र श्री मुन्नी लाल गौर (Munnee Lal Gaur) है, मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे राम भगत गौर (Ram Bhagat Gaur) पुत्र श्री मुन्नी लाल गौर (Munnee Lal Gaur), के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(भगतराम गौर)

(Bhagatram Gaur)

पुत्र— श्री मुन्नी लाल गौर

(Munni Lal Gaur).

(G-2559)

नया नाम

(राम भगत गौर)

(Ram Bhagat Gaur)

पुत्र— श्री मुन्नी लाल गौर

(Munnee Lal Gaur).

नाम परिवर्तन

मैं, लोकचन्द वाधवानी पुत्र श्री झमटमल वाधवानी, निवासी—बी न्यू—11, क्वाटर नं. 119 बैरागढ़ हुजूर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम लोकू वाधवानी पुत्र श्री झमटमल वाधवानी एवं कुछ दस्तावेजों में लोकचन्द वाधवानी पुत्र श्री झमटमल वाधवानी दर्ज है। जहां कहीं भी मेरा नाम लोकू वाधवानी पुत्र श्री झमटमल वाधवानी दर्ज है। उसके स्थान पर लोकचन्द वाधवानी पुत्र श्री झमटमल वाधवानी पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम

(लोकू वाधवानी)

पुत्र— श्री झमटमल वाधवानी

नया नाम

(लोकचन्द वाधवानी)

पुत्र— श्री झमटमल वाधवानी।

(G-2560)

नाम परिवर्तन

मैं, रामप्रसाद गोलिया पिता बिहारीलाल गोलिया, निवासी— शिवशंकर कॉलोनी, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में रामप्रशाद पिता बिहारी लाल अंकित है। प्रार्थी को उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर प्रार्थी के ही नाम हैं। भविष्य में प्रार्थी को रामप्रसाद पिता बिहारीलाल के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(रामप्रसाद गोलिया)

पिता— बिहारीलाल गोलिया।

(G-2561)

नाम परिवर्तन

मैं, नानी बाई पति मोतीदास, निवासी-219, ग्राम लुनेरा, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थिनी का नाम कुछ शासकीय, अद्वशासकीय दस्तावेजों में नन्दीबाई बेवा मोतीदास अंकित है. प्रार्थिनी को उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के होकर मेरे ही हैं. भविष्य में प्रार्थिनी को नानी बाई पति मोतीदास के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(नानी बाई)

पति— मोतीदास.

(G-2562)

नाम परिवर्तन

मैं, रवि निनामा पिता बद्रीलाल निनामा, निवासी-67, ग्राम लोचीतारा, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी के आधार काड़ में त्रुटिवश घर का बोलता नाम निर्भय सिंह निनामा पिता बद्रीलाल निनामा अंकित हो गया है. प्रार्थी को उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में प्रार्थी को रवि निनामा पिता बद्रीलाल निनामा के नाम से जाना—पहचाना जावे.

प्रार्थी

(रवि निनामा)

पिता— बद्रीलाल निनामा.

(G-2563)

नाम परिवर्तन

मैं, देवाशिष राठौर पिता स्व. देवेन्द्र सिंह, निवासी—मकान नम्बर 49, श्रीमालीवास, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी के कुछ शासकीय, अद्वशासकीय दस्तावेजों में देवांग राठौर एवं पिता का नाम देवेन्द्र सिंह जे. ठाकोर (DEVENDRA SINGH J THAKOR) अंकित है. प्रार्थी का सही नाम देवाशिष राठौर पिता स्व. देवेन्द्र सिंह राठौर (DEVASHISH RATHORE S/o DEVENDRA SINGH RATHORE) एवं माता का नाम स्व. वर्षा राठौर (VARSHA RATHORE) है. देवांग राठौर एवं देवाशिष राठौर दोनों नाम प्रार्थी के ही होकर एक ही व्यक्ति है. भविष्य में प्रार्थी देवाशिष राठौर पिता स्व. देवेन्द्र सिंह (DEVASHISH RATHORE S/o DEVENDRA SINGH) के नाम से जाना—पहचाना जावे.

प्रार्थी

(देवाशिष राठौर)

पिता— स्व. देवेन्द्र सिंह.

(G-2564)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र सिंह सोलंकी पिता भेरु सिंह सोलंकी, निवासी— होली चौक, ग्राम नामली, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में नाहरसिंह पिता भेरुसिंह जाति राजपूत अंकित है। प्रार्थी को उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर प्रार्थी के ही नाम हैं। भविष्य में प्रार्थी को राजेन्द्र सिंह सोलंकी पिता भेरु सिंह सोलंकी के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थी

(राजेन्द्र सिंह सोलंकी)

(G-2565)

पिता— भेरु सिंह सोलंकी।

नाम परिवर्तन

मैं, राजू बाई पति रूपा (पिता श्यामा), निवासी—ग्राम सोलंकीपाड़ा, (पलास), तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में गट्टू बाई पिता श्यामा अंकित है। प्रार्थिया को उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं। भविष्य में प्रार्थिया को राजू बाई पति रूपा (पिता श्यामा) के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थिया

(राजू बाई)

(G-2566)

पति— रूपा।

नाम परिवर्तन

प्रार्थिया बाना बाई पति सामु (पिता श्यामा), निवासी—ग्राम सोलंकीपाड़ा (पलास), तह व जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में वाना पिता श्यामा अंकित है। प्रार्थिया को उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं। भविष्य में प्रार्थिया को बाना बाई पति सामु (पिता श्यामा) के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थिया

(बाना बाई)

(G-2567)

पति— सामु।

नाम परिवर्तन

मैं, सत्यनारायण पिता श्यामा, निवासी—ग्राम सोलंकीपाड़ा (पलास), तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में सद्दा पिता श्याम अंकित है। प्रार्थी को उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में प्रार्थी को सत्यनारायण पिता श्यामा के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थी

(सत्यनारायण)

(G-2568)

पिता—श्यामा।

नाम परिवर्तन

मैं, सपना खीची पति सरदार (पिता कालु), निवासी—ग्राम सोलंकीपाड़ा (पलास), तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में सजनबाई अंकित है. प्रार्थिया को उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में प्रार्थिया को सपना खीची पति सरदार (पिता कालु) के नाम से जाना—पहचाना जावे.

प्रार्थिया

(सपना खीची)

पति—सरदार.

(G-2569)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती धाराबेन नीलेशकुमार रावल पत्नी श्री नीलेश छोटालाल रावल, निवासी—सी 4 / 103. जी—फ्लोर, कोरल बुड्स, नर्मदापुरम रोड भोपाल (म.प्र.), विवाह के पूर्व मेरा नाम जानी धारा शांतिकुमार पुत्री श्री शांतिकुमार जानी था, मैंने विवाह उपरांत अपने पूर्व के नाम जानी धारा शांतिकुमार को परिवर्तित कर श्रीमति धाराबेन नीलेशकुमार रावल पत्नी नीलेश छोटालाल रावल कर लिया है, जो कि सत्य व सही है. अतः प्रकाशन उपरांत शासकीय/आशासकीय व अन्य सभी दस्तावेजों में मुझे श्रीमति धाराबेन नीलेशकुमार रावल पत्नी नीलेश छोटालाल रावल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(जानी धारा शांतिकुमार)

(धाराबेन नीलेशकुमार रावल)

पुत्र— श्री शांतिकुमार जानी.

पत्नी—श्री नीलेश छोटालाल

श्री नीलेश छोटालाल रावल.

(G-2570)

नाम परिवर्तन

मैं, कृपा शंकर (KRAPA SHANKAR) पुत्र श्री हरिओम मेरा, पूर्व का नाम राहुल कुमार शाक्य (RAHUL KUMAR SHAKYA) था, जो मेरी पोलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, कृपा शंकर पुत्र श्री हरिओम के नाम से जाना—पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. राहुल कुमार शाक्य एवं कृपा शंकर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे पोलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राहुल कुमार शाक्य के स्थान पर कृपा शंकर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(राहुल कुमार शाक्य)

(कृपा शंकर)

पुत्र— श्री हरिओम

पता— 127 / 3, कब्जु मगू, लहार,

भिण्ड (म.प्र.).

(G-2571)

नाम परिवर्तन

मैं, वंदना सिंह (VANDANA SINGH) पत्नि श्री विजय वर्मा मेरा नाम वंदना वर्मा (VANDANA VERMA) है। जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि मैं अपना सरनेम वंदना सिंह (VANDANA SINGH) के नाम से करवाना चाहती हूँ वर्तमान एवं भविष्य में मैं, वंदना सिंह पत्नि श्री विजय वर्मा के नाम से जानी—पहचानी जाती हूँ। वंदना सिंह एवं वंदना वर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम वंदना वर्मा के स्थान पर वंदना सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(वंदना वर्मा)	(वंदना सिंह)
पत्नी— श्री विजय वर्मा	
पता— 27, ओल्ड राजमोहल्ला,	
इन्दौर (म.प्र.).	
(G-2572)	

नाम परिवर्तन

मैं, विजय सिंह (VIJAY SINGH) पुत्र श्री हरी सिंह वर्मा मेरा पूर्व का नाम विजय वर्मा (VIJAY VERMA) था। जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, विजय सिंह (VIJAY SINGH) पुत्र श्री हरी सिंह वर्मा के नाम से जाना—पहचाना जाता हूँ। जो मेरे पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है विजय वर्मा एवं विजय सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम विजय वर्मा (VIJAY VERMA) के स्थान पर विजय सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(विजय वर्मा)	(विजय सिंह)
पुत्र – श्री हरी सिंह वर्मा	
पता— 27, ओल्ड राजमोहल्ला,	
इन्दौर (म.प्र.).	
(G-2573)	

नाम परिवर्तन

मैं, हर्ष सिंह (HARSH SINGH) पुत्र श्री विजय वर्मा मेरा नाम हर्ष वर्मा (HARSH VERMA) है। जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि मैं, अपना सरनेम हर्ष सिंह (HARSH SINGH) के नाम से करवाना चाहता हूँ वर्तमान एवं भविष्य में मैं, हर्ष सिंह पुत्र श्री विजय वर्मा के नाम से जाना—पहचाना जाता हूँ। हर्ष सिंह एवं हर्ष वर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हर्ष वर्मा के स्थान पर हर्ष सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे।

<p>प्रार्थी (हर्ष वर्मा) पुत्र— श्री विजय वर्मा पता— 27, ओल्ड राजमोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).</p>	<p>(G-2574)</p>
--	-----------------

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेमलता जादौन (PREMLATA JADON) पुत्री श्री रामवीर सिंह जादौन मेरा पूर्व का नाम निकिता जादौन (NIKETA JADON) था, जो मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, प्रेमलता जादौन पुत्री श्री रामवीर सिंह जादौन के नाम से जानी—पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। प्रेमलता जादौन एवं निकिता जादौन दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम निकिता जादौन के स्थान पर प्रेमलता जादौन लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(निकिता जादौन)

नया नाम
(प्रेमलता जादौन)
पुत्री— श्री रामवीर सिंह जादौन
पता— ग्राम रूपाकाटोर, पोस्ट किशोरगढ़,
सबलगढ़, मुरैना (म.प्र.).

(G-2575)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील खां (SUNEEL KHAN) पुत्र हिम्मत खां पूर्व का नाम समीरखान हिम्मतखान रंगरेज (SAMIRKHAN HIMMATKHAN RANGREJ) था। जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, सुनील खां पुत्र हिम्मत खां के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है सुनील खां एवं समीरखान हिम्मतखान रंगरेज दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे समीरखान हिम्मतखान रंगरेज के स्थान पर सुनील खां लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(समीरखान हिम्मतखान रंगरेज)

नया नाम
(सुनील खां)
पुत्र— श्री हिम्मत खां
पता— ग्राम सिमार, मेहगाँव, भिण्ड (म.प्र.).

(G-2576)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेश रामनरेश सिंह (NARESH RAMNARESH SINGH) पुत्र श्री जनवेद सिंह मेरा पूर्व का नाम राम नरेश सिंह (RAM NAresh SINGH) था जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई डी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, नरेश रामनरेश सिंह पुत्र श्री जनवेद सिंह के नाम से जाना—पहचाना जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है नरेश रामनरेश सिंह एवं राम नरेश सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे राम नरेश सिंह के स्थान पर नरेश रामनरेश सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(राम नरेश सिंह)

नया नाम
(नरेश रामनरेश सिंह)
पुत्र— श्री जनवेद सिंह
पता— 66, ग्राम हीरापुर, गोरामी, भिण्ड (म.प्र.).

(G-2577)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश कुशराम Rajesh Kushram सर्वसाधारण को सूचित करता हूं जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है. परन्तु आधार कार्ड में त्रुटि से मेरा नाम राजेश अब्दुल्ला Rajesh Abdullah अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन के उपरांत मुझे समस्त शासकीय / अद्वैशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में राजेश कुशराम Rajesh Kushram के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

(G-2578)

प्रार्थी

(राजेश कुशराम)

(Rajesh Kushram)

पता— 332 / के, टिंगा मोहल्ला,
संजय वार्ड, सिवनी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, बाबू लाल सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका नाम लकड़ी सनबाल अंकित है. परन्तु आधार कार्ड में त्रुटि से उसका नाम अमन अंकित हो गया है, जो कि गलत है. इस प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र के समस्त शासकीय / अद्वैशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में लकड़ी सनबाल आत्मज—बाबू लाल के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

(G-2579)

प्रार्थी

(बाबू लाल)

पता— आमला, रामजीपुरा,
अमला, सीहोर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, पर्वत सिंह आत्मज—नाथूलाल, सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम पर्वत सिंह अंकित है. परन्तु आधार कार्ड में त्रुटि से मेरा नाम महेश राठौर आत्मज—नाथूलाल अंकित हो गया है जो कि गलत है. इस प्रकाशन के उपरांत मेरे समस्त शासकीय / अद्वैशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में पर्वत सिंह आत्मज—नाथूलाल के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

(G-2580)

प्रार्थी

(पर्वत सिंह)

पता— नाथूलाल, दौरला, ओखली खेड़ा, ९
विदिशा, ओखिलखेड़ा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, ऋषी कुमार फरकसे Rishi Kumar Farkase, सर्वसाधारण को सूचित करता हूं जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है. परन्तु कुछ दस्तावेजों में त्रुटि से मेरा नाम Rishi Kumar कुछ में Rishikumar Farkase तथा बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों में Rushi Farkase, Rushikumar farkase, Rishikumar Farkase अंकित हो गया है, जो कि गलत है. Rushi Farkase, Rushi Kumar Farkase, RishiKumar Farkase तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं यानि कि मेरे, इस प्रकाशन के उपरांत मुझे समस्त शासकीय / अद्वैशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में ऋषी कुमार फरकसे Rishi Kumar Farkase के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

(G-2581)

प्रार्थी

(ऋषी कुमार फरकसे)

(Rishi Kumar Farkase)

पता— S/o गणपति फरकसे, 413, वार्ड नं. 5,
सुभाष वार्ड, पांडुरना, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Smt. Ranjan Mehta, wife of Shri Harshad Mehta, inform the general public that my name is Smt. Ranjan Mehta, but in some documents my name has been mentioned as Smt. Ranjan H. Mehta. Smt. Ranjan Mehta and Smt. Ranjan H. Mehta are the names of the same person, i.e., after this publication, I should be known, read, written and called as Smt. Ranjan Mehta in all government/Semi-government forms and all other documents.

Old Name	New Name
(Ranjan H. Mehta)	(Ranjan Mehta)
(G-2582)	Resident- House No. H-18, Nishat Colony, 74 Bungalow, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को विदित हो कि मैं, रोशनी विश्वकर्मा पुत्री श्री दशरथ सिंह विश्वकर्मा स्थायी पता— ग्राम पचमा, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश पहले मेरा गलत नाम मिथलेश रघुवंशी पति गोपाल रघुवंशी दर्ज था, लेकिन अब मेरा सही नाम रोशनी विश्वकर्मा पुत्री श्री दशरथ सिंह विश्वकर्मा है, अब मुझे रोशनी विश्वकर्मा पुत्री श्री दशरथ सिंह विश्वकर्मा इसी नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा दर्ज किया जावे।

(G-2583)	भवदीय (रोशनी विश्वकर्मा) पुत्री – श्री दशरथ सिंह विश्वकर्मा।
----------	---

नाम परिवर्तन

मैं, Somwati singour (सोमवती सिंगौर) सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सोमवती सिंगौर अंकित है। परन्तु आधार कार्ड में त्रुटि से मेरा नाम सूमो बाई सिंगौर Summo bai Singour अंकित हो गया है जो कि गलत है। इस प्रकाशन के उपरांत मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में Somwati Singour (सोमवती सिंगौर) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जावे।

(G-2584)	प्रार्थिनी (सोमवती सिंगौर) (Somwati Singour) पत्नी – हेमू लाल सिंगौर पता— वार्ड नं. 3, गौ चौक, ग्राम धौरगाँव, पोस्ट लिमरुआ, लिमरुआ, मंडला (म.प्र.).
----------	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को विदित हो कि मैं, धर्मेन्द्र लोधी पुत्र श्री सरदारसिंह लोधी स्थायी पता— लोहरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म.प्र.). आधार कार्ड में त्रुटिवश पहले मेरा गलत नाम हुकुमसिंह पुत्र प्यारे लाल दर्ज था लेकिन अब मेरा सही नाम धर्मेन्द्र लोधी पुत्र श्री सरदारसिंह लोधी है, अब मुझे धर्मेन्द्र लोधी पुत्र श्री सरदारसिंह लोधी इसी नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा दर्ज किया जावे।

(G-2585)	भवदीय (धर्मेन्द्र लोधी)
----------	-----------------------------------

नाम परिवर्तन

मेरा नाम श्रीमती नागमणि मायनम पति एम.एन.वी. सत्यनारायण है त्रुटिवश मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम Nagmani Mynam हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही एवं वास्तविक नाम नागमणि मायनम NaGamani Mynam है। अतः मुझे श्रीमती नागमणि मायनम पति एम.एन.वी. सत्यनारायण के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा समझा जावे।

(G-2586)

आवेदिका

(नागमणि मायनम)

पता— 324, खातीवाला टैक,
अंकुर अपार्टमेंट, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम एम.एन.वी. सत्यनारायण पिता सुब्बांना मायनम, त्रुटिवश मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम Mynam NaGa Venkata satynarayan हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही एवं वास्तविक नाम एम.एन.वी. सत्यनारायण M N V satyanarayana है। अतः मुझे एम.एन.वी. सत्यनारायण के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा समझा जावे।

(G-2587)

आवेदक

(एम.एन.वी. सत्यनारायण)

पता— 324, खातीवाला टैक,
अंकुर अपार्टमेंट, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम खनिष्ठा राजपूत पिता बसंत राजपूत (KHANISKA RAJPUT D/o BASANT RAJPUT) था, जिसे मैं, परिवर्तित कर खुशी राजपूत पिता बसंत राजपूत (KHUSHI RAJPUT D/o BASANT RAJPUT) करना चाहता हूं क्योंकि मेरी पुत्री को इसी नाम से पुकारा जाता है तथा इसके जन्म प्रमाण—पत्र में भी इसका नाम खुशी राजपूत दर्ज है लेकिन इसके आधार कार्ड में नाम खनिष्ठा राजपूत पिता बसंत राजपूत दर्ज हो गया है इसी कारण मैं, अपनी पुत्री का नाम जन्म प्रमाण—पत्र के अनुसार खुशी राजपूत पिता बसंत राजपूत करवाना चाहता हूं तथा आगे से मेरी पुत्री को खुशी राजपूत पिता बसंत राजपूत के नाम से ही जाना—पहचाना जावे।

(G-2588)

आवेदक

(बसंत राजपूत)

पता— 317, नया बसेरा पानी की टंकी
के पास, छोटा बांगर्दा मैन रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, भागीरथी यादव पुत्र श्री दयाराम यादव, निवासी— ग्राम रम्पा, रामपा राजमिलन, सिंगरौली (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश दिव्या कुमारी यादव (DIVYA KUMARI YADAV) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों पर श्यामकली यादव (SHYAMKALI YADAV) पुत्री भागीरथी यादव, नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम श्यामकली यादव (SHYAMKALI YADAV) पुत्री भागीरथी यादव के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

(G-2589)

प्रार्थी

(भागीरथी यादव)

पुत्र — श्री दयाराम यादव.

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार जाट पुत्र श्री तेजाराम जाट निवासी— म.नं. 9, तहसील नसरूल्लागंज ग्राम सीगांव, गोपालपुर सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अशोक जाट अंकित है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही एवं सत्य नाम अशोक कुमार जाट (Ashok Kumar Jat) पुत्र श्री तेजाराम जाट (Tejaram Jat) है जो कि मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अशोक कुमार जाट (Ashok Kumar Jat) पुत्र श्री तेजाराम जाट (Tejaram Jat) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अशोक जाट)	(अशोक कुमार जाट)
(Ashok Jat)	(Ashok Kumar Jat)
(G-2590)	पुत्र – श्री तेजाराम जाट (Tejaram Jat).

नाम परिवर्तन

मैं, खुमान सिंह पुत्र जगदीश सिंह, निवासी— वार्ड नं. 8, वेदनखेड़ी, टपरिया, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश कुलदीप कुशवाह (KULDEEP KUSHWAH) पुत्र अबदेश कुशवाह नाम दर्ज हो गया है, साथ ही जन्मतिथि भी गलत अंकित हो गई है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं समर्त शैक्षणिक दस्तावेजों पर कान्हा कुशवाह (KANHA KUSHWAH) नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम कान्हा कुशवाह (KANHA KUSHWAH) पुत्र खुमान सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी	(खुमान सिंह)
	पुत्र – जगदीश सिंह.

(G-2591)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लुहारसिंह पुत्र गिरधारी, निवासी— 18, ग्राम नयापुरा, तहसील सतवास हीरापुर, जिला देवास (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम काशिया पुत्र लोहारसिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम अशोक बनोड़िया (Ashok Banodiya) पुत्र लुहार सिंह (Luhar Singh) है. जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम अशोक बनोड़िया (Ashok Banodiya) पुत्र लुहार सिंह (Luhar Singh) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी	(लुहार सिंह).
----------	---------------

(G-2592)

नाम परिवर्तन

मैं, भगवान सिंह परमार पुत्र श्री माखन लाल परमान, निवासी— गोविंदपुरा, जबड़िया भील, कालापीपल, शाजापुर (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश आरीका परमार (ARIKA PARMAR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र पर प्रिया परमार (PRIYA PARMAR) नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम प्रिया परमार (PRIYA PARMAR) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(G-2593)

(भगवान सिंह परमार).

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश रघुवंशी पुत्र श्री रविशंकर, निवासी—144, हाऊसिंग बोर्ड, बैरसिया रोड, करोंद, जैन कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश लक्कय (LAKKY) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र पर लक्की रघुवंशी (LUCKY RAGHUVANSHI) नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम लक्की रघुवंशी (LUCKY RAGHUVANSHI) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(राकेश रघुवंशी)

पुत्र — श्री रविशंकर.

नाम परिवर्तन

मैं, नितिन शर्मा पुत्र श्री श्याम बिहारी शर्मा, निवासी— जे.एम.—127, वार्ड 17, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, सतलापुर नादोर, रायसेन, मंडीदीप (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश डीनल शर्मा (DEENAL SHARMA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र पर दीक्षिता शर्मा (DIKSHITA SHARMA) नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम दीक्षिता शर्मा (DIKSHITA SHARMA) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(नितिन शर्मा).

नाम परिवर्तन

मैं, हल्के पाल पुत्र गोरेलाल, निवासी— ग्राम साहबा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश लाल सिंह (LAL SINGH) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे मूल निवास प्रमाण—पत्र पर हल्के पाल (HALKE PAL) नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम हल्के पाल (HALKE PAL) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(लाल सिंह)

(हल्के पाल)

(LAL SINGH)

(HALKE PAL)

(G-2596)

नाम परिवर्तन

मैं, सुमित्रा बाई पत्नी श्री विक्रम सिंह, निवासी—म.नं. 146, नाना बाजार, ग्राम व पोस्ट सिमरोल, तहसील गुलाना, शुजालपुर, शाजापुर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सुमन बाई (SUMAN BAI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर सुमित्रा बाई (SUMITRA BAI) नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समर्त दस्तावेजों में सही नाम सुमित्रा बाई (SUMITRA BAI) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(सुमन बाई)

(SUMAN BAI)

नया नाम

(सुमित्रा बाई)

(SUMITRA BAI).

(G-2597)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी—म.नं. 50/1, पोस्ट नलखेड़ा, पडाना शाजापुर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश राधव शर्मा (RAGAW SHARMA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र पर पियुष शर्मा (PIYUSH SHARMA) नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समर्त दस्तावेजों में सही नाम पियुष शर्मा (PIYUSH SHARMA) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(सुनील कुमार शर्मा).

(G-2598)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश चन्द्र गुप्ता (RAMESH CHANDRA GUPTA) आ. स्व. श्री जे.एल. अग्रवाल, निवासी—पल्टन एरिया, वार्ड नं. 05, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.). मेरा सही नाम RAMESH CHANDRA GUPTA है। जो सभी शासकीय अभिलेख में अंकित है किन्तु त्रुटिवश मेरे शेयर संबंधी अभिलेख में RAMESH CHANDRA GUPTA अंकित हो गया है, जबकि ये दोनों नाम मेरे ही हैं किसी अन्य के नहीं। अतः भविष्य में मुझे RAMESH CHANDRA GUPTA के स्थान पर सही नाम RAMESH CHANDRA GUPTA पढ़ा—लिखा एवं अंकित समझा जावे।

प्रार्थी

(RAMESH CHANDRA GUPTA)

आ. स्व. श्री जे.एल. अग्रवाल.

(G-2599)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सुलेख पिता स्व. श्री शशि कुमार, निवासी— म.नं. 1192, नवजीवन कॉलोनी, छोला रोड, भोपाल (म.प्र.). एतदद्वारा समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए घोषणा करता हूँ कि मुझे पहले सुलेख पिता श्री शशि कुमार माता श्रीमती राजेश्वरी के नाम से जाना जाता था, जो गलत है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे शासकीय/अर्द्धशासकीय/शैक्षणिक अन्य दस्तावेजों में सही नाम सुलेख राजभर (SULEKH RAJBHAR) पिता श्री शशि कुमार राजभर (SHASHI KUMAR RAJBHAR) माता श्रीमती राजेश्वरी देवी (RAJESHWARI DEVI) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
सुलेख (SULEKH)	(सुलेख राजभर)
पिता श्री शशि कुमार	(SULEKH RAJBHAR)
माता श्रीमती राजेश्वरी	पिता श्री शशि कुमार राजभर (SHASHI KUMAR RAJBHAR)
	माता श्रीमती राजेश्वरी देवी (RAJESHWARI DEVI)

(G-2600)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम जावेद अजीज खान पुत्र स्व. श्री अब्दुल अजीज खान, निवासी— म.नं. 04, स्ट्रीट नंबर 03 चटाईपुरा, बुधवारा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). जो कि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, पेन कार्ड एवं समग्र आई.डी. में दर्ज है। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश जावेद खान दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। प्रकाशन उपरांत मुझे अब मेरे सही नाम जावेद अजीज खान पुत्र स्व. श्री अब्दुल अजीज खान के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

(G-2601)

आवेदक

(जावेद अजीज खान)

पुत्र— स्व. श्री अब्दुल अजीज खान।

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज रघुवंशी आत्म श्री पहलाद सिंह रघुवंशी, निवासी—कामती, (निजोर), गाडरवाड़ा, तहसील व जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम मान्यता रघुवंशी है, उसके जन्म प्रमाण—पत्र में उसका सही नाम मान्यता रघुवंशी है। जन्म प्रमाण—पत्र में वर्तमान दर्ज प्रानवी रघुवंशी के स्थान पर मान्यता रघुवंशी पिता का नाम श्री मनोज रघुवंशी दर्ज किया जाये तथा समस्त दस्तावेजों में उसका नाम मान्यता रघुवंशी पिता मनोज रघुवंशी लिखा जाये।

(G-2602)

आवेदक

(मनोज रघुवंशी)।

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम कनिष्ठा उसरेंठे वल्द कमल कुमार उसरेंठे, सम्पूर्ण दस्तावेजों में लेख है, किन्तु आधार कार्ड में मेरे सरनेम में त्रुटि हो गई है. जिसमें कि मेरा नाम KANISHKA URSENTHE अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम KANISHKA USRENTHE है. मैं, आगे से अपना नाम KANISHKA USRENTHE लेख करूँगी और इसी नाम से मुझे जाना जायेगा.

पुराना नाम (KANISHKA URSENTHE) (G-2603)	नया नाम (KANISHKA USRENTHE).
---	-------------------------------------

नाम परिवर्तन

मैं, झाडुलाल उके पुत्र श्री बारकु उके, निवासी—ग्राम बिरसोला, पोस्ट नान्दी, तहसील तिरोढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.). यह कि मैं, अपना नाम झाडुलाल उके से बदलकर मिलिंद त्रिशरण करना चाहता हूँ. झाडुलाल उके एवं मिलिंद त्रिशरण ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मिलिंद त्रिशरण (Milind Trisharan) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (झाडुलाल उके) (G-2604)	नया नाम (मिलिंद त्रिशरण) (Milind Trisharan).
---	--

CHANGE OF NAME

I, Javed Mansoori S/o Sri Banne Mansoori R/o 08, Gali Number 2, Ravi Medical Store, Ibrahimganj, Hazur, Dist. Bhopal MP do hereby notify that my son Master Kabir Mansoori S/o Javed mansoori R/o 08, Gali Number 2, Ravi Medical Store, Ibrahimganj, Hazur, Dist. Bhopal (M.P.) has changed his name to Altmas Kabir Mansoori of his own free will and henceforth my son's name may be known as Altmas Kabir Mansoori and not as Kabir Mansoori Gazette Notification in this required is also being make by me.

(G-2605)	Applicant (Javed Mansoori).
----------	------------------------------------

नाम परिवर्तन

मैं, जडौती देवी पत्नि स्व. केशव सिंह, निवासी—ग्राम पडैनिया खुर्द, जिला सीधी (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम जडौती देवी (JAROTI DEVI) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जडौती सिंह (JADAUTI SINGH) हो गया है. अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम जडौती देवी (JAROTI DEVI) के नाम से जानी जाऊँगी एवं सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम (जडौती सिंह) (JADAUTI SINGH) (G-2606)	नया नाम (जडौती देवी) (JAROTI DEVI).
---	---

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पा त्रिपाठी पत्नि अजय त्रिपाठी, निवासी—वार्ड न. 03, विजय बस्ती, गढिया टोला, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम शिवमणि त्रिपाठी अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम निखिल त्रिपाठी (Nikhil Tripathi) पुत्र अजय त्रिपाठी (Ajay Tripathi) है. जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम निखिल त्रिपाठी (Nikhil Tripathi) पुत्र अजय त्रिपाठी (Ajay Tripathi) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-2607)	आवेदक (पुष्पा त्रिपाठी).
----------	---------------------------------

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री लम्बोदराय डेवलोपर्स A4 / 14-15, वसंतविहार कॉलोनी, उज्जैन (म.प्र.). जिसका पंजीयन नंबर 07-33-01-0032-25, दिनांक 23 मई 2025 है। इस फर्म में निम्न भागीदार थे।

1. श्यामसिंह सिसोदिया पिता श्री समरथसिंह सिसोदिया।
2. योगेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता श्री श्यामसिंह सिसोदिया।
3. श्रीमती राजकुंवर सिसोदिया पति श्री श्यामसिंह सिसोदिया।
4. श्रीमती रंजीताकुंवर सिसोदिया पति श्री योगेन्द्रसिंह सिसोदिया।

दिनांक 27 मई 2025 को श्रीमती राजकुंवर सिसोदिया पति श्री श्यामसिंह सिसोदिया एवं श्रीमती रंजीताकुंवर सिसोदिया पति श्री योगेन्द्रसिंह सिसोदिया अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक् हो गयी हैं। दिनांक 27 मई 2025 से फर्म में निम्न भागीदार रहेंगे।

फर्म का नाम – श्री लम्बोदराय डेवलोपर्स

1. श्यामसिंह सिसोदिया पिता श्री समरथसिंह सिसोदिया
 2. योगेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता श्री श्यामसिंह सिसोदिया
- वास्ते: श्री लम्बोदराय डेवलोपर्स
योगेन्द्र सिंह सिसोदिया
(भागीदार)।

(G-2608)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S Pratima Industries फ्लैट नंबर 302, Aster Platinum, Aakriti Eco City, Bawadia Kala, Bhopal (M.P.) के प्रमुख स्थान का पता परिवर्तन कर फ्लैट नंबर 302, Aster Platinum, Aakriti Eco City, Bawadia Kala, Bhopal (M.P.) संशोधित डीड दिनांक 30 दिसम्बर 2024 से प्लॉट नंबर JK 14, सेक्टर-D Industrial Area, Govind pura, भोपाल कर दिया गया है।

PRATIMA INDUSTRIES

Smeet Duggal
Shveta Duggal
(भागीदार)।

(G-2609)

जाहिर सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 63 (1) के आधीन सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पातालकोट एडवेंचर स्पोर्ट्स पंजीयन क्रमांक 04-17-01-0151-2016, छिन्दवाड़ा की रचना में दिनांक 1 मार्च 2025 से नये भागीदार क्रमशः—

(1) Shri Roop Narayan Garhwal. S/o Shri Ramcharan Garhwal (2) Shri Nand Kishor S/o Shri Aniruddh Kumar (3) Kanchan Garhwal W/o Shri Roop Narayan Garhwal फर्म में दिनांक 1 मार्च 2025 को सम्मिलित हुए हैं। एवं (1) Shri Gourav Garhwal S/o Shri Roopnarayan Garhwal (2) Shri Purshottam Garhwal S/o Shri Ramcharan Garhwal ने फर्म मेसर्स पातालकोट एडवेंचर स्पोर्ट्स छिन्दवाड़ा से दिनांक 1 मार्च 2025 को रवेच्छा से सेवानिवृति ली है।

इस प्रकार दिनांक 1 मार्च 2025 से सम्मिलित रहने वाले साझेदार फर्म का कार्यभार सम्मालेंगे।

मेसर्स पातालकोट एडवेंचर स्पोर्ट्स
ROOP NARAYAN GARHWAL
(भागीदार)।

(G-2610)

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद सिंह राजपूत श्री संत सिंह राजपूत, निवासी-11/3, शालीमार स्टर्लिंग अप्सरा टॉकीज के पास, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम विनोद सिंह राजपूत (Vinod Singh Rajput) दर्ज है. जिनके स्थान पर मैं अपना नाम परिवर्तन करते हुए राज राजपूत विनोद सिंह (Raj Rajput Vinod Singh) जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में भी मुझे राज राजपूत विनोद सिंह (Raj Rajput Vinod Singh) के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम (Vinod Singh Rajput)	नया नाम (Raj Rajput Vinod Singh).
------------------------------------	--------------------------------------

(G-2611)

नाम परिवर्तन

मैं, वीरेन्द्र कुशवाह आत्मज प्रहलाद सिंह (Virendr Kushwah S/o Prahalad Singh), निवासी-17, सतपाड़ा कलां, सिमोटा, गंजबसौदा, विदेशा (म.प्र.) मेरी पुत्री रीना कुशवाह (Reena Kushwah) के आधार कार्ड में उसका नाम राधिका कुशवाह (Radhika Kushwah) दर्ज है, जोकि गलत है, जबकि उसका सही नाम रीना कुशवाह (Reena Kushwah) है. जो उसके स्कूल रिकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज एवं समग्र आई.डी. में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के आधार कार्ड तथा समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में राधिका कुशवाह (Radhika Kushwah) के स्थान पर सही नाम रीना कुशवाह (Reena Kushwah) दर्ज किया जावे.

(G-2612)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा विवाह अमिता पति श्री अमित भण्डारी के साथ हुआ था विधिवत विवाह विच्छेद न्यायालय द्वारा हो गया है. मेरा पुर्णविवाह महिमा विक्टर के साथ हुआ है. जिन्हें पहले से ही एक पुत्री क्रिस्टीना गोम्स (Christina Gomes) है, जिसे मैं, अपना रहा हूँ तथा उसका नाम परिवर्तित कर उसे अपना उपनाम दे रहा हूँ अतः प्रकाशन उपरांत उसे देविका भण्डारी (Devika Bhandari) के नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम (क्रिस्टीना गोम्स) (Christina Gomes)	नया नाम (देविका भण्डारी) (Devika Bhandari)
---	--

सरकारी माता-पिता महिमा भण्डारी अमित भण्डारी	पता— आर 250, महालक्ष्मी नगर, प्रयास गार्डन के पास, एम.आर. 5, इन्दौर (म.प्र.).
---	---

(G-2613)

CHANGE OF NAME

I, Ashok Pawar, Residing at A-81, Alkapuri, Sagar Public School, Habibganj, Huzur, Bhopal, (M.P.). Have changed my name from Ashok Pawar / Ashok Rambhoo Pawar / Ashok Kumar Pawar to Ashok Rambhau Pawar for the purpose of correcting the name on share certificates only. My name is correct in all other official documents. Kindly publish this in your newspaper's classified section. I am enclosing my affidavit and ID proof. Please inform me of the charges and publication date.

(G-2614)

Applicant

(Ashok Rambhau Pawar).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रेखा बाई (REKHA BAI) पति मनोहर प्रसाद विश्वकर्मा था, जो कि मेरी शैक्षणिक दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्रों पर अंकित है. जिसको मैंने परिवर्तित कर जतन देवी (JATAN DEVI) पति मनोहर प्रसाद विश्वकर्मा कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है. अतः भविष्य में मुझे जतन देवी (JATAN DEVI) पति मनोहर प्रसाद विश्वकर्मा के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(रेखा बाई)

(G-2615)

नया नाम

(जतन देवी)

पति – मनोहर प्रसाद विश्वकर्मा
पता— 132, ब्रिटिश ग्राण्ड, ग्राम ढाबली,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम आर सोमसुंदरम (R SOMASUNDARAM) था, जो कि मेरी अंकसूचियों एवं प्रमाण-पत्रों पर अंकित हो गया है. जिसको मैंने परिवर्तित कर सोमसुंदरम रामू (SOMASUNDARAM RAMU) कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है. अतः भविष्य में मुझे सोमसुंदरम रामू (SOMASUNDARAM RAMU) के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(आर सोमसुंदरम)
(R SOMASUNDARAM)

(G-2616)

नया नाम

(सोमसुंदरम रामू)
(SOMASUNDARAM RAMU)
पता— हाउस नं. 391, गुलाब बाग कॉलोनी,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरी पुत्री का नाम मायरा अग्रवाल (MAYRA AGRAWAL) पिता श्री नवल अग्रवाल था जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों पर अंकित है, किन्तु मैंने मेरी पुत्री का नाम परिवर्तित कर आरोही अग्रवाल (AAROHI AGRAWAL) पिता श्री नवल अग्रवाल कर लिया है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री को इसी नाम से जाना-पहचाना व संबोधित किया जावे.

पुराना नाम
(मायरा अग्रवाल)
(MAYRA AGRAWAL)

(G-2617)

नया नाम

(आरोही अग्रवाल)
(AAROHI AGRAWAL)
पता— 54, अल्बर्ट ईक्का विहार, गुलमोहर,
ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक नायक (Deepak Nayak) पुत्र श्री यशवंत नायक (Yashwant Nayak), निवासी— मालवीय गंज, आर.एम. एस. कॉलोनी, वार्ड नं. 16, इटारसी नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पिता जी के रेल्वे रिकार्ड एवं अन्य समर्त दस्तावेजों में उनका नाम यशवंत सिंह नायक (Yashwant Singh Nayak) दर्ज है तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरे पिता जी का नाम यशवंत नायक (Yashwant Nayak) दर्ज है. दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जो कि मेरे पिताजी हैं.

(G-2618)

आवेदक

(दीपक नायक)
(Deepak Nayak)
पुत्र— श्री यशवंत नायक
(Yashwant Nayak).

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन मध्यप्रदेश

विशाला भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड उज्जैन,

उज्जैन, दिनांक 16 मई 2025

“प्रारूप – सत्रह”

[नियम 19 (4) देखिए]

[धारा 50 की उप धारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

क्र.-TDS-07-UJN-2024-44-25.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम हक्कानीपुरा, खिलचीपुर एवं उण्डासा के अन्तर्गत नगर विकास योजना के प्रयोजन हेतु उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा तैयार की गई नगर विकास योजना क्रमांक—TDS-07-UJN-2024 के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 मई 2025 को अनुमोदित किया गया है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

प्रस्तावित नगर विकास योजना 07 – उज्जैन विकास प्राधिकरण					
(ग्राम हक्कानीपुरा, खिलचीपुर एवं उण्डासा)					
संख्या क्रमांक	रवाणी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
ग्राम हक्कानीपुरा					
1	रज्जो बाई पति ताराचंद	उज्जैन	हक्कानीपुरा	1	3.293
2	राजेन्द्र सुरेन्द्र कैलाश मनोज पिता रामनारायण गुड़ी बाई सुशीला बाई प्रमिला पुत्रियां रामनारायण देव बाई बेवा रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	3/1/1	1.045
3	रामेश्वर पिता मथुरालाल उज्जैन	उज्जैन	हक्कानीपुरा	3/1/2	0.847
4	कृष्ण पति धनश्याम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	3/1/3	0.846
5	गांगीलाल, मनोहरलाल पिता मनीराम, नानीबाई विधवा मनीराम जाति माली ज्ञानचंद्र, योगेश, अजय पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	3/2/1	0.763
6	मनीष प्रमोद पिता मोहनलाल उर्फ मनोहरलाल राधा बाई	उज्जैन	हक्कानीपुरा	3/2/2	0.763
7	रनेहलता बाई पिता कैलाशचंद्र	उज्जैन	हक्कानीपुरा	4	0.857
8	रोहित कुमार पिता सुरेन्द्र सिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	5	2.602
9	रज्जो बाई पति ताराचंद	उज्जैन	हक्कानीपुरा	6	1.066
10	धर्मेन्द्र पिता सत्यनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	7/1/1 पार्ट	0.565
11	रोहित कुमार पिता सुरेन्द्र सिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	7/1/2	0.105
12	लाखन पिता सत्यनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	7/2 पार्ट	0.066
13	श्रीगती जाया रविंद्र जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	18/1/2/2 पार्ट	0.073
14	लोलाबाई पति नाथसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	18/2/2 पार्ट	0.179
15	बालगुरुकुंद पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	18/2/1 पार्ट	0.219
	राधेश्याम पिता बसंतीलाल श्रीकंता पति महेश पुत्री बसंतीलाल लक्ष्मीबाई पिता जगदीश रुद्र गीतांजलि पिता जगदीश भूरीबाई बेवा बसंतीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	20/ 1 पार्ट	0.768
16	कैलाश पिता राम नारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	24/1 पार्ट	0.259
17	करण सिंह अर्जुन सिंह उर्फ अभिजीत पिता कैलाश चंद्र	उज्जैन	हक्कानीपुरा	24/2 पार्ट	0.759
18	करण सिंह अर्जुन सिंह उर्फ अभिजीत पिता कैलाश चंद्र	उज्जैन	हक्कानीपुरा	25	1.463

रारल कंगाक	स्वामी का नाम	उहसील	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
19	मगेश पिता जगननाथ	उज्जैन	हक्कानीपुरा	26	1.254
20	बाबूलाल पिता भागीरथ	उज्जैन	हक्कानीपुरा	27/1/3 पार्ट	0.330
21	कन्हयालाल पिता गणपत	उज्जैन	हक्कानीपुरा	27/1/2 पार्ट	0.046
22	गणपत पिता नंदराम	उज्जैन	हक्कानीपुरा	27/1/1 पार्ट	0.185
23	गणपत पिता नंदराम	उज्जैन	हक्कानीपुरा	28/1	0.627
24	हरीश पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	28/2	1.244
25	ममता बाई पति सुरेंद्र सिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	20/2	1.181
26	सुरेंद्र पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	29	1.369
27	कैलाश पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	30/1	1.235
28	कैलाश पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	30/2	0.625
29	करण पिता योगेश	उज्जैन	हक्कानीपुरा	31	1.735
30	मनोहर सिंह पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	32	1.254
31	मनोहर सिंह पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	34	1.055
32	हीरालाल प्रकाश दिनेश पिता मदनलाल मांगीबाई पति हीरालाल लीलाबाई पति दिनेश मदनलाल पिता बाबू	उज्जैन	हक्कानीपुरा	35/1	0.648
33	हीरालाल प्रकाश दिनेश पिता मदनलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	35/2	0.648
34	बालमुकुंद पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	36/1/1 पार्ट	1.249
35	गिरधारी पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	36/1/2/1	0.940
36	बालमुकुंद पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	36/1/2/2	0.105
37	राजेंद्र पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	36/1/3/1 पार्ट	0.600
38	मनोहर सिंह पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	36/1/3/2 पार्ट	
39	सुरेंद्र पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	36/2/1/1 पार्ट	0.306
40	कैलाश पिता रामनारायण		हक्कानीपुरा	36/2/1/2 पार्ट	
41	मनोहर पिता रामनारायण		हक्कानीपुरा	36/2/1/3 पार्ट	
42	राजेंद्र पिता रामनारायण		हक्कानीपुरा	36/2/1/4 पार्ट	
43	चंद्रवाई पति मिश्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	39/2 पार्ट	0.109
44	चंद्रवाई पति मिश्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	39/1 पार्ट	0.566
45	सुरेंद्र पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	39/3 पार्ट	0.013
46	नरेंद्र जाट पिता मिश्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	40/2	0.115
47	चंद्रवाई पति मिश्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	40/1	0.031
48	राधेश्याम पिता नरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	42/1	0.073
49	दिनेश पिता नरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	42/2	0.073
50	राधेश्याम पिता नरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	43/1	0.045
51	दिनेश पिता नरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	43/2	0.101
52	राधेश्याम पिता नरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	44/1	0.979
53	सागर बाई मनीबाई रेखा बाई पिता नरसिंह कमला बाई	उज्जैन	हक्कानीपुरा	44/2	0.418
54	दिनेश पिता नरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	44/3	0.244
55	हीरालाल प्रकाश दिनेश पिता मदनलाल मांगीबाई पति हीरालाल लीलाबाई पति दिनेश मुदनलाल पिता बाबू	उज्जैन	हक्कानीपुरा	45/1	0.732
56	हीरालाल प्रकाश दिनेश पिता मदनलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	45/2	0.732
57	मनोहर सिंह पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	47	1.463
58	करण पिता योगेश	उज्जैन	हक्कानीपुरा	48	0.512
59	स्नेहलताबाई पति कैलाश चंद्र	उज्जैन	हक्कानीपुरा	49	0.366
60	महेश पिता वरदा जी	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/1	1.411

रारल कमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
61	महेश पिता नारायणदास परियानी	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/2/1/1	0.491
62	महेश पिता नारायणदास परियानी	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/2/1/2	0.597
63	महेश पिता नारायणदास परियानी	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/2/1/3	0.151
64	महेश पिता वरदा जी	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/2/3	0.005
65	श्याम लाल मोतीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/2/4	0.167
66	ललिता बाई पिता मनोहरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	52	1.818
67	पंकज पिता बालमुकुंद जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	53/1/1	0.843
68	बालमुकुंद पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	53/1/2	0.836
69	सुनीता पति रामेश्वर जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	53/2/1	0.425
70	रामपरीबाई पति बालमुकुंद जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	53/2/2	0.425
71	हीरालाल प्रकाश दिनेश पिता मदनलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	54	1.421
72	हीरालाल प्रकाश दिनेश पिता मदनलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	55	1.045
73	दिनेश पिता नरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	56	0.084
74	दिनेश पिता नरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	57/1	0.595
75	मूलचंद पिता मोतीसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	57/2/1	0.831
76	जीवन पिता हरिसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	57/2/2	0.831
77	मूलचंद पिता मोतीसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	58/1	1.181
78	जीवन पिता हरिसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	58/2	1.181
79	योगेश पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	59	1.933
80	रामेश्वर पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	62/1	1.097
81	आदर्श पिया संजय सरपरस्त माता सुमित्रा बेवा संजय सुनिता	उज्जैन	हक्कानीपुरा	62/2	1.098
82	मोहन पिता नंदराम धीरज नेहा पिता प्रकाश शुभाबाई वि प्रकाश सुशीला बाई	उज्जैन	हक्कानीपुरा	64	1.390
83	अंश पिता अजय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	65	2.174
84	गौरव पिता योगेश	उज्जैन	हक्कानीपुरा	66	0.752
85	मुकेश पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	67/1	0.470
86	गणपत पिता नंदराम	उज्जैन	हक्कानीपुरा	67/2	0.418
87	अंश पिता अजय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	68/1	0.596
88	अंश पिता अजय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	68/2	
89	अंश पिता अजय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	68/3	
90	अजय बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	70/1	
91	योगेश पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	70/2	1.275
92	ललिताबाई मणोहर सिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	71	0.575
93	राजेंद्र पिता कवरलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	72/1	0.627
94	मुकेश पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	72/2/2	0.616
95	गिरधारी पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	72/2/1	0.105
96	गिरधारी पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/1/1	0.442
97	मुकेश पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/1/2	0.233
98	हरीश पिता बद्रीलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/1/3	0.130
99	गणपत पिता नंदराम	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/2	0.324
100	राजेंद्र पिता कवरलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/3	0.480
101	शासकीय नाला	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/4 पार्ट	0.125
102	गौरव पिता योगेश	उज्जैन	हक्कानीपुरा	74/1	1.536
103	गौरव पिता योगेश	उज्जैन	हक्कानीपुरा	74/2	
104	गौरव पिता योगेश	उज्जैन	हक्कानीपुरा	74/3	

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा कर्गांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
105	महेश पिता वरदा जी	उज्जैन	हक्कानीपुरा	77/1 पार्ट	0.059
106	गीतावाई योगेश कविता लक्ष्मी सुनीता पिता जगदीश	उज्जैन	हक्कानीपुरा	78 पार्ट	0.230
					72.044

ग्राम हक्कानीपुरा की शासकीय भूमि का विवरण:-

सरल कर्गांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा कर्गांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	2	0.366
2	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	33	0.199
3	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	41 पार्ट	0.400
4	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	46 पार्ट	0.366
5	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	50	0.334
6	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	60/1 पार्ट	0.289
7	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	63	0.157
8	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	69/1	0.178
		उज्जैन	हक्कानीपुरा	69/2	
		उज्जैन	हक्कानीपुरा	69/3	
9	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	70/3	0.034
10	शासकीय	उज्जैन	हक्कानीपुरा	75	0.282
				2.605	
ग्राम हक्कानीपुरा में निजी एवं शासकीय भूमि का योग				कुल योग	74.648

प्रस्तावित नगर विकास योजना 07 – उज्जैन विकास प्राधिकरण

(ग्राम-हक्कानीपुरा, खिलचीपुर एवं उंडासा)

ग्राम-खिलचीपुर

रारल कर्गांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा कर्गांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	जितेन्द्र पिता जीवनसिंह जाति आंजना	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	254/1 पार्ट	1.019
2	गीतावाई पति रामरतन	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	254/2 पार्ट	
3	गीतावाई पति रामरतन	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	255 पार्ट	0.673
4	नीलम पिता भवानी बक्ष	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	256 पार्ट	0.008
5	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	257/1 पार्ट	1.037
				257/2 पार्ट	
6	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	258/1 पार्ट	0.029
7	महेश राजाराम	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	259 पार्ट	0.026
8	मुकेश पिता राजाराम	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	260 पार्ट	1.200
9	बद्रीलाल पिता होरालाल प्रभुलाल पिता भानीरथ	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	264/1	2.059
10	हंसकुंवर बाई उफ अंधुकवारवाई पति पदमसिंह जाति आंजना	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	264/2	0.418

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खंसरा क्रमांक	सेत्रफल हेक्टर गें
11	छोटेलाल पिता मुंगाराम जाति ब्राह्मण	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	264/3	0.418
12	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	275 पार्ट	0.054
13	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	276 पार्ट	0.312
14	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	277 पार्ट	0.083
15	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	280 पार्ट	0.141
16	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	281 पार्ट	0.099
17	कीर्ति विजय पालीलाल लक्षण हाकमासिंह हरलाल अमरसिंह दौलतसिंह चंद्रबाई एवं अन्य नाराधण सिंह दौलत सिंह शातिलाल भगीरथ भवरसिंह जस्सू सिंह हीरालाल गणपत शंकरलाल मर्तीलाल बामगी बाई ऊँकार कमलबाई मांगीलाल श्रीमती राधा सुरजमल धनुबाई एवं अन्य सुरेश चाँद भाधवलाल सोनी दुलीचंद्र बजेशम विहारी दीपा एवं अन्य	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	284 पार्ट	0.623
18	सीमा पति रमेश भानकुवर पति शंकर राजूबाई पति बाहदुर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	286 पार्ट	0.032
19	क्रिस्ट ज्योति सोसायटी द्वारा ग्राम खिलचीपुर आराधना सदन	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	288 पार्ट	0.174
20	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	289 पार्ट	0.153
21	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	302 पार्ट	0.486
22	डाटस औफ सेट थॉमस सोसाइटी कनासिया तराना हंसकुवर बाई उर्फ अंशुकुवर बाई पति पदम् सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	316 पार्ट	0.850
23	हंसकुवर बाई उर्फ अंशुकुवर बाई पति पदम् सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	317	3.522
24	बाहदुर सिंह पिता अरबाराम	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	318	0.846
25	हंसकुवर बाई उर्फ अंशुकुवर बाई पति पदम् सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	319	0.669
26	करणसिंह पिता सेवाराम रामरामकर सिंह राहुल सिंह पिता करणसिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	320	0.449
27	हंसकुवर बाई उर्फ अंशुकुवर बाई पति पदम् सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	321	0.293
28	हेमत आशुतोष कमलसिंह राजूबाई पति बालमुकुद	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	326	0.230
29	तनूजा जीवन लक्ष्य पिता जीवन आयुषी अगीधा जीवन	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	330 पार्ट	0.258
30	बाबूलाल पिता शंकरलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	331	0.125
31	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	332 पार्ट	0.428
32	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	333 पार्ट	0.004
33	रतनसिंह पिता हजारीलाल बाबूलाल पिता शंकरलाल गंगाराम पिता शंकरलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	334 पार्ट	0.270
34	बाबूलाल पिता शंकरलाल गंगाराम पिता शंकरलाल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	335 पार्ट	0.330
35	तनूजा जीवन लक्ष्य पिता जीवन आयुषी अगीधा जीवन	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	337 पार्ट	0.154
36	तनूजा जीवन लक्ष्य पिता जीवन आयुषी अगीधा जीवन	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	338 पार्ट	0.360
37	हेमत आशुतोष कमलसिंह राजूबाई पति बालमुकुद	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	343	0.491
38	हेमत आशुतोष कमलसिंह राजूबाई पति बालमुकुद	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	344	0.993
39	हेमत आशुतोष कमलसिंह राजूबाई पति बालमुकुद	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	345	1.818
40	जीतेन्द्र पिता जीवनसिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	347	0.219
41	गर्जेंद्रसिंह पिता गोविन्दसिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	349	1.442
42	गोरखगलाल पिता आत्माराम	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	351	4.881

सरल. क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
43	वाहदुर सिंह पिता अम्बाराम	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	352	0.230
44	रमेश पिता अम्बाराम	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	353	1.160
45	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	354	2.822
46	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	355	0.230
47	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	356	0.700
48	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	357	0.637
49	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	358	0.470
50	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	359	2.299
51	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	360	1.609
52	नीलम पिता भवानीबक्षा	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	361	0.324
53	नीलम पिता भवानीबक्षा	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	362	0.418
54	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय गहंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	363 पार्ट	0.315
55	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	364	0.063
56	श्री राम मंदिर ग्राम खिलचीपुर व्यस्थापक महंत दिविजयदस गुरु स्वर्गीय महंत किशोरीदास जी एवं कलेक्टर	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	365	1.557
57	गर्जेंद्रसिंह पिता गोविन्दसिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	366	0.230
58	कौशल आजना नाबालिक पिता गर्जेंद्र पटेल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	367	2.083
59	कौशल आजना नाबालिक पिता गर्जेंद्र पटेल	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	368	2.748
60	जीतेन्द्र जीवन सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	369	0.303
61	जीतेन्द्र जीवन सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	370	0.732
62	जीतेन्द्र जीवन सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	371	0.230
63	जीवनसिंह आत्माराम	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	372	3.089
64	हरिओमसिंह पिता जीवन सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	373	0.146
65	हरिओमसिंह पिता जीवन सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	375	0.240
66	हरिओमसिंह पिता जीवन सिंह	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	376 पार्ट	2.404
67	बद्रीलाल कचरा	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	379 पार्ट	0.297
					53.012

सरल. क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खरारा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	278 पार्ट	0.113
2	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	322	0.073
3	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	323	0.011
4	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	325	0.115
5	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	341 पार्ट	0.273
6	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	342	0.010
7	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	346	0.136
9	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	348	0.157
10	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	350	0.679
11	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	374	0.199
12	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	377 पार्ट	0.074
13	शासकीय	उज्जैन नगर	खिलचीपुर	378 पार्ट	0.110
ग्राम खिलचीपुर में निजी एवं शासकीय भूमि का कुल योग					1.950
					54.962

प्रस्तावित नगर विकास योजना 07 – उज्जैन विकास प्राधिकरण					
(ग्राम हक्कानीपुरा, खिलचीपुर एवं उंडासा)					
ग्राम उंडासा					
ग्राम उंडासा की निजी भूमि का विवरण:-					
सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	गहेश पिता नारायणदास परियानी	उज्जैन	उंडासा	48/4 पार्ट	0.0209
2	शशिकांत पिता माणकलाल	उज्जैन	उंडासा	49/1/1 पार्ट	1.780
3	चंद्रकांत पति माणकलाल			49/1/2 पार्ट	
4	सुरेश पिता माणकलाल			49/1/3 पार्ट	
5	रत्नबेन पति मोहनलाल बल्लभ विनोदकुमार दीपक कुमार विजयकुमार पिता मोहनलाल कमल पति चम्पक जयश्री	उज्जैन	उंडासा	49/2 पार्ट	
6	गहेश पिता नारायणदास परियानी	उज्जैन	उंडासा	49/3 पार्ट	
7	महेश पिता नारायणदास परियानी	उज्जैन	उंडासा	49/4 पार्ट	
8	शासकीय	उज्जैन	उंडासा	51 पार्ट	0.152
9	शशिकांत पिता माणकलाल	उज्जैन	उंडासा	52/1/1 पार्ट	0.938
10	शशिकांत पिता माणकलाल			52/1/2 पार्ट	
11	चंद्रकांत पति माणकलाल			52/1/3 पार्ट	
12	सुरेशचंद पिता माणकलाल			52/1/4 पार्ट	
					2.891
योजनान्तर्गत					
1	ग्राम खिलचीपुर में कुल निजी भूमि				53.012
2	ग्राम खिलचीपुर में कुल शासकीय भूमि				1.950
3	ग्राम हक्कानीपुरा में कुल निजी भूमि				72.044
4	ग्राम हक्कानीपुरा में कुल शासकीय भूमि				2.605
5	ग्राम उंडासा में कुल निजी गृणि				2.891
प्रतावित योजनान्तर्गत कुल क्षेत्रफल		योग हेक्टर में			132.502

प्रारूप नगर विकास स्कीम में अंतिम भूखण्ड का आवंटन उपरोक्त दर्शाई गई भू-धारिता तथा स्वामित्व के आधार पर आवंटित किया जावेगा, भू-धारिता अथवा तालिका में दर्शाए गए क्षेत्रफल में किसी विसंगति को, अथवा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी उप विभाजन (सब डिविजन) को, सुसंगत प्रलेखों के साथ इस सूचना के जारी होने की तिथी से पंद्रह दिवस के भीतर जानकारी में लाया जाएगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात् अंतिम भूखण्ड के आवंटन के प्रयोजन हेतु मूल भूखण्ड में किये गये किसी उप विभाजन पर विचार नहीं किया जाएगा।

**विविध
न्यायालयों की सूचनाएं**

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, तहसील सिहोरा,
जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश**

सिहोरा, दिनांक 15 अप्रैल 2025

क्र.-2005-प्रवा.1-अविअ-2025.— एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सीताराम मिश्रा पिता शिवचरण मिश्रा व अन्य सभी, निवासी-खितौला पड़वार, तहसील मझौली, जिला जबलपुर के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर श्री रामचंद्र जी जानकी मंदिर की देख-रेख, न्यास की संपत्ति की सुरक्षा, धार्मिक कार्यों का आयोजन एवं न्यास की संपत्ति की आय का उचित आय-व्यय का लेखा-जोखा तथा धार्मिक एवं सामाजिक हित में कार्य करने हेतु लोक न्यास के रूप में पंजीयन किए जाने हेतु आवेदन-पत्र संलग्न दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया है।

न्यास का उद्देश्य — श्री रामचंद्र जी जानकी मंदिर की देख-रेख, न्यास की संपत्ति की सुरक्षा, धार्मिक कार्यों का आयोजन एवं न्यास की संपत्ति की आय का उचित आय व्यय का लेखा-जोखा तथा धार्मिक एवं सामाजिक हित में कार्य करना।

लोक न्यास संपत्ति का विवरण — मौजा खितौला, रा.नि.न. मझौली, तहसील मझौली, जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 525 रकबा 0.53 है।

प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 5 मई 2025 को सुनवाई हेतु नियत है। आवेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह नियत दिनांक को दोपहर 2:00 बजे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के जरिए उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

(G-2620)

रूपेश रतन सिंघई, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र,
जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
फार्म-चार**

जूनी इंदौर, दिनांक 22 मई 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 : तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963
नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र.-508-रीडर-1-2025.—आवेदक श्री शशी कमल पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर जिनालय ट्रस्ट, पता-12, डॉ. सरजु प्रसाद मार्ग, साउथ तुकोगंज, इंदौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एकट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेद-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

परिषिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

श्री शशी कमल पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर जिनालय ट्रस्ट पता-12, डॉ. सरजु प्रसाद मार्ग,
साउथ तुकोगंज, इन्दौर

अचल संपत्ति :- निरंक

चल संपत्ति :- 11.008

आज दिनांक 22 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-2621)

प्रदीप सोनी, पंजीयक

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास,
अनुभाग-पुनासा, मध्यप्रदेश

प्रारूप-चार

पुनासा, दिनांक 16 मई 2025

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम,
1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

प्र. क्र. 0002-बी-13(1)-2025-26.— आवेदक महेश पिता बलराम करोड़े, निवासी—नगर परिषद् पुनासा, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा श्री सर्व गुर्जर समाज नगर परिषद् पुनासा, सामाजिक एवं मांगलिक भवन निर्माण एवं संचालन ग्राम नगर पुनासा, तह. पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन—पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवदन किया। एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन—पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 6 मई 2025 को विचार किया जायेगा।

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपरिथित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा :—

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :— श्री सर्व गुर्जर समाज पुनासा, नगर परिषद् पुनासा, सामाजिक एवं मांगलिक भवन का निर्माण करना जिसे ग्राम के उत्थान आफर सुविधा से खड़ायता समाज के सामाजिक कार्य होते रहेंगे। संपत्ति का रख—रखाव एवं संचालन ग्राम पुनासा, तह. पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश :—

अनूसूची “अ”

चल संपत्ति :- नगद 1000/- रुपये बैंक खाते में नगद जमा

अनूसूची “ब”

अचल संपत्ति :- निरंक

(G-2622)

शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना गुना, मध्यप्रदेश
गुना, दिनांक 9 मई 2025

प्रारूप—चार

[देखिये नियम-7(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम, 1962
के नियम 5(1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना गुना, जिला गुना के समक्ष

प्र. क्र. 0001—बी—113—2025—26.— यतः कि न्यासधारी प्रदीप कुमार जैन पुत्र स्व. श्री प्रतापचंद जैन, निवासी—पीपी
जैन पेट्रोल पंप, ए.बी. रोड, गुना, तहसील गुना, द्वारा “पी.पी. जैन चौरिटेबल ट्रस्ट” मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951
(1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने
के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 09 जून 2025 के दिवस पर मेरे न्यायालय
में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्तियां सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस
सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष
उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान
के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा :—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता : “पी.पी. जैन चौरिटेबल ट्रस्ट”

चल सम्पत्ति : 10,00,000/-

अचल सम्पत्ति : निरंक

(G-2623) शिवानी पाठक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 19 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (2) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—क्यू—1—Q.— कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश
सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर
धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कड़कनाथ कुकुट प्रजाति संरक्षण पालन एवं विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित बोरझाड़।	55/02.02.2015	355/26.03.2025
2.	कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्यादित, कुकावाट	405/18.07.2018	369/26.03.2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय—प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदनुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 19 मई 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2624)

सोनू भूरिया, परिसमापक एवं उप—अंकेक्षक।

कार्यालय, परिसमापक एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

नर्मदापुरम, दिनांक 21 मई 2025

क्र.—परिसमापन—2025—क्यू.—कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम, आदेशानुसार अद्योलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में होने के कारण धारा 70 (01) के अन्तर्गत आदेश/संशोधित आदेश के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	नियुक्ति (4)
(1)	(2)	(3)		
01.	तिलहन उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित मर्या., शिवपुर बम्होरी	2214, 26.09.1983	175, 03.10.2019	
02.	जय माँ रिया साख सहकारी समिति मर्यादित, विसौनीकला	3088, 29.08.2013	1154, 02.09.2020	
03.	प्रोफेसर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, नर्मदापुरम	2107, 26.03.1979	1738, 02.09.2024	
04.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, नर्मदापुरम	2112, 05.02.1980	1738, 02.09.2024	
05.	साकेत गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, नर्मदापुरम	2072, 13.01.1975	1738, 02.09.2024	
06.	शक्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुधवाडा	2817, 18.08.2004	1738, 02.09.2024	
07.	महिला जरी कढाई बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, नर्मदापुरम	2716, 18.08.2000	1738, 02.09.2024	
08.	नर्मदा भूमिहीन सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, मालाखेड़ी	11, 09.01.1961	1738, 02.09.2024	
09.	नर्मदा भूमिहीन सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, टुगरिया-	14, 13.09.1962	1738, 02.09.2024	

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के से 02 माह के अन्दर मय—प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने को दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 21 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं तथा पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2625)

आर.के. मेहरा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 15 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक-2025-क्यू- उप-सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आकाश महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार, देवास	957, 07.07.2001	1154, 24.04.2025

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेचित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर भय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्याधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(G-2626)

भूपेन्द्र गिरी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

देवास, दिनांक 19 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक-2025-क्यू- उप-सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नाकोड़ा प्रा. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., देवास	921, 24.02.2001	क्र./परि./2025/1152/24.4.25
2.	कबीर प्रा. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., देवास	1109, 29.10.2005	क्र./परि./2025/1156/24.4.25

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समर्त आस्तियां परिसमापक में वैष्णित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12. 00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समर्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(G-2627)

आभा काँचले, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

देवास, दिनांक 19 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक—परिसमापक—2025—क्यू—उप—सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गनोरा	1566/11.06.2015	4985/24.12.2024
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बापच्या	1654/31.03.2018	4988/24.12.2024
3.	गुरुकृपा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, देवास	22/06.03.1979	2314/09.05.2024
4.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सन्नौड़	1292/07.02.2013	4980/24.12.2024
5.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पाटाखाल	1236/03.11.2012	2334/09.05.2024

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समर्त आस्तियां परिसमापक में वैष्णित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12. 00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 19 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(G-2628)

अखिलेश कुमार अहिरवार, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक

देवास, दिनांक 20 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक—परिसमापक—2025—क्यू.—उप सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माँ गंगा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास।	1087/07.10.2004	1153/24.04.2005

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना—पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12. 00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा—पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयंसेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 20 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(G-2629)

अनिता मेहरा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक

देवास, दिनांक 20 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक-2025-क्यू- उप-सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाक धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन		परिसमापन क्रमांक व दिनांक
		क्रमांक व दिनांक	(3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	साँई लक्ष्मी साख सह. संस्था मर्या., देवास	03/4.02.2019		1321/2.09.2022
2.	विश्वास प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी, भंडार मर्या., देवास.	711/31.12.1990		2251/2.8.2018

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12. 00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(G-2630)

कृष्णा पथरोड, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 22 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57—सी के अंतर्गत]

क्र.—क्यू—2025.—उप—सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
		पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	ए.पी.एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	298/15.01.2001	718/23.05.2013
2.	साई गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	352/29.08.2003	721/23.05.2013
3.	साई भक्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	365/27.11.2003	723/23.05.2013
4.	श्री विमल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	361/17.10.2003	724/23.05.2013
5.	श्री बालाजी महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	327/22.11.2003	1112/26.07.2013
6.	बालाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वा. पी—18071	159/08.08.1989	1863/21.11.2013
7.	ग्वालियर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	65/17.06.1976	1860/21.11.2013
8.	भवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. ग्वालियर	221/10.08.1972	1864/21.11.2013

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अन्तर्गत परिसमापक दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेचित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना—पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से विचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, हेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टाक नहीं सौंपें गये हैं। तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं अस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 22 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-2631)

पी.के. गर्ग, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

ग्वालियर, दिनांक 17 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

क्र.-2025.—उप-सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गोमटेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 18106	179—28.02.1991	1956—20.10.2015
2.	अविज्ञाती शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 107	107—02.04.1954	1994—28.10.2015
3.	अंकुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 18010	122—26.05.1986	1109—31.03.2016
4.	साईन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 21765	368—10.02.2004	1110—31.03.2016
5.	स्वामी विवेकानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 50120	448—22.08.2011	1112—31.03.2016
6.	नवदुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 21816	393—28.08.2005	1113—31.03.2016
7.	संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 50121	101—10.05.1982	1114—31.03.2016
8.	स्यादवाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी.	225—25.03.1995	1115—31.03.2016
9.	मां संमति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 21822	399—21.11.2006	1117—31.03.2016

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अन्तर्गत परिसमापक दिनांक से संस्था की समरत अस्तियां परिसमापक में वेचित हो गई है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या अस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समर्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-2632)

के.डी. सिंह, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

**कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 21 मई 2025**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गजानन गृह निर्माण सह.संस्था, ग्वालियर	387/28.12.2004	1133/31.03.2016
2.	संगम गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	248/31.03.1996	1134/31.03.2016
3.	प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	174/19.04.1990	1135/31.03.2016
4.	शोभा गृह निर्माण सह, संस्था, ग्वालियर	343/19.05.2003	1136/31.03.2016
5.	संकट मोचन गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	36/12.08.1971	1139/31.03.2016
6.	माता गायत्री गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	372/01.06.2004	1143/31.03.2016
7.	राजस्व मण्डल गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	62/27.01.1976	3041/28.12.2016
8.	अलंकार गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	251/27.08.1996	3040/28.12.2016
9.	बाल कृष्ण गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	333/04.02.2003	704/25.03.2017
10.	बांके बिहारी गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	355/09.09.2003	688/25.03.2017
11.	सुंदरम गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	231/31.10.1995	689/25.03.2017

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या अस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं अस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु।

अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 21 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-2633)

चाँदनी वैस, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समितियां, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 23 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन आदेश
		क्रमांक व दिनांक	क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अग्रसेन गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	120/31.11.1986	604/02.09.1999
2.	म.प्र. शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	197/24.09.1992	150/14.01.1996
3.	एम.ई.एस कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	868/16.06.1997	593/05.06.2015
4.	शीतला गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	384/23.08.2000	
5.	मानस गृह निर्माण सह. संस्था, ग्वालियर	108/11.08.1983	1864/21.11.2013

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या अस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

(G-2634)

अजय आहूजा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

ग्वालियर, दिनांक 23 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्ति किया गया :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन आदेश
		क्रमांक व दिनांक	क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एकता विकास प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित, ग्वालियर	622/26.12.2016	847/31.05.2019
2.	सार्वजनिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित, ग्वालियर	662/28.03.2017	907/07.06.2019
3.	गिरज प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित, ग्वालियर	684/28.03.2017	921/07.06.2019
4.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर	681/28.03.2017	916/07.06.2019
5.	ग्वालियर मोटर वाहन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	488/05.12.1988	701/25.03.2017

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	कांचमणि उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	701/17.01.1988	1088/30.03.2016
7.	तानसेन फिल्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	12/09.02.1984	1079/30.03.2016
8.	मां पीतांबरा गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	602/04.10.2016	905/07.06.2019
9.	धातु उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	406/18.06.1956	
10.	श्री महालक्ष्मी दीप मोमबत्ती एवं अगरबत्ती उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	304/26.09.2002	1070/30.03.2016
11.	लक्ष्मी नारायण कृषि उद्योग साप्रगी प्रदाय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	513/12.02.2016	2358/10.12.2018
12.	इंद्रा आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, डबरा	24/15.01.1996	1414/23.05.2006
13.	आदिवासी खनिज श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, तिघरा	255/30.02.1996	1413/23.05.2006
14.	अनुसूचित जाति/अ.जा. खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, सोजनाताल	649/11.05.1993	1409/25.05.2006
15.	जय बालाजी खनिज कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, गंगा मालनपुर	687/31.05.1994	1410/23.05.2006
16.	बरकी बंजरी खनिज कामगार कारीगरों की संस्था मर्यादित, जकोदा	809/30.08.1995	263/10.02.2005
17.	हरिजन आदिवासी सहकारी संस्था मर्यादित, पाटई	209/03.04.1998	1995/28.10.2015
18.	सिंधु खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, गतारी	596/14.10.2016	2009/29.09.2018
19.	गाजापुर खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	650/28.01.2017	2007/29.09.2018
20.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांखनी	536/31.03.1990	1800/06.07.2006
21.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मसूदपुर	569/30.09.1991	684/25.03.2017
22.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आरोन	500/31.08.2008	1072/30.03.2016
23.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवरीकला	505/05.02.1990	1096/30.03.2016
24.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कछौआ	526/05.02.1990	1095/30.08.2016
25.	निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्यादित, डबराच	392/28.09.2005	1366/05.07.2012
26.	लोकमान्य साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	572/08.09.2016	2090/04.10.2018
27.	विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	293/22.06.2001	1735/28.09.2019
28.	स्टेट बैंक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	51/17.03.1973	1869/11.10.1996

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या अस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी।

विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.—क्यू.—डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला अशोकनगर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र. (1)	आवंटित परिसमापनाधीन संस्थाएं (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	प्रगति शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रुसल्ला	1027/09—08—2004	81/22.01.2025
2.	बांस डलिया उधोग सहकारी संस्था मर्या., शाढ़ौरा	164/25—08—1952	82/22.01.2025
3.	धर्मकार उधोग सहकारी संस्था मर्या., ईसागढ़	7002/17—01—1950	84/22.01.2025
4.	प्रजापति गुडखाण्डसारी सहकारी संस्था मर्या., शाढ़ौरा	95/25—08—1962	85/22.01.2025
5.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., खैजराअटारी	430/19—06—1970	87/22.01.2025
6.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., भौरा	14/02—07—1962	88/22.01.2025
7.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राजतला	838/30—03—1996	89/22.01.2025
8.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खमखेड़ी	841/30—03—1996	90/22.01.2025
9.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकड़ा	844/30—03—1996	91/22.01.2025
10.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., जमडैरी	680/26—10—1991	93/22.01.2025
11.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., मामौन	670/26—10—1991	94/22.01.2025
12.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., पाठखेड़ा	671/26—10—1991	342/16—04—2021
13.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., कालीटोर	672/26—10—1991	342/16—04—2021
14.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., इमझरा	673/26—10—1991	342/16—04—2021
15.	अनु. जाति मत्त्य उधोग सहकारी संस्था मर्या., शाढ़ौरा	830/23—02—1996	342/16—04—2021
16.	नवोदय श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., खिरियादेवत	718/09—09—1992	342/16—04—2021
17.	सुनील सनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., ईसागढ़	921/19—07—2001	342/16—04—2021
18.	कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., सतपैया	634/07—03—1990	342/16—04—2021

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, जिला अशोकनगर के कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ डैडस्टाक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख या रिकार्ड एवं डैडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्य के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित रिथिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व समक्ष अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(G-2636)

अभिषेक कुमार जैन, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड परसवाड़ा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 20 मई 2025

शुद्धि-पत्र

मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 05 अगस्त 2022 को प्रकाशित सूचना में “आदेश क्रमांक-उपंबा-परि-42, दिनांक 14 जनवरी 2020” प्रकाशित हो गया था। उक्त के स्थान पर “आदेश क्रमांक-उपंबा-परि-2022-629, बालाघाट, दिनांक 30 जून 2022” पढ़ा जावे।

(G-2637)

आर.के. परस्ते, परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

शुद्धि-पत्र

मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 05 अगस्त 2022 को प्रकाशित सूचना में “आदेश क्रमांक-उपंबा-परि-42, दिनांक 14 जनवरी 2020” प्रकाशित हो गया था। उक्त के स्थान पर “आदेश क्रमांक-उपंब-परि-19-1426, बालाघाट, दिनांक 7 दिसम्बर 2019” पढ़ा जावे।

(G-2638)

सी.पी. सिंह, परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक, अन्नपूर्णा बीज उत्पादक, सहकारी समिति मर्यादित, आरुद, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 23 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—क्यू. 1.—अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आरुद, जिसका पंजीयन क्रमांक—2343, दिनांक 10 फरवरी 2015 है को उप—रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक—परि.—2025—721, दिनांक 23 अप्रैल 2025 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त स्वमेव दायित्व मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2639)

गोविन्द प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, दुग्ध उत्पादक, सहकारी समिति मर्यादित, हरसवाड़ा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 23 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—क्यू. 1.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हरसवाड़ा जिसका पंजीयन क्रमांक—2287, दिनांक 21 अक्टूबर 2014 है को उप—रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक—परि.—2025—748 दिनांक 23 अप्रैल 2025 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त स्वमेव दायित्व मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2640)

गोविन्द प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, मां नर्मदा ईंट उद्योग सहकारी समिति मर्यादित केनूद, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 23 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—क्यू. 1.—मां नर्मदा ईंट उद्योग सहकारी समिति मर्या., केनूद, जिसका पंजीयन क्रमांक—2224, दिनांक 18 सितम्बर 2018 है को उप—रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक—परि.—2025—764 दिनांक 23 अप्रैल 2025 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त स्वमेव दायित्व मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2641)

गोविन्द प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, मां बिजासन क्र्य विक्र्य विपणन सहकारी समिति मर्यादित खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 23 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—क्यू. 1.—मां बिजासन क्र्य विक्र्य विपणन सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक—1973, दिनांक 27 सितम्बर 2006 है को उप—रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक—परि.—2025—755, दिनांक 23 अप्रैल 2025 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त स्वमेव दायित्व मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2642)

गोविन्द प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, दुर्घ उत्पादक, सहकारी समिति मर्यादित, पोखरकला, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 23 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—क्यू. 01.—दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पोखरकला, जिसका पंजीयन क्रमांक—2274, दिनांक 10 अप्रैल 2014 है को उप—रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक—परि.—2025—751, दिनांक 23 अप्रैल 2025 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त स्वमेव दायित्व मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2643)

गोविन्द प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
सीहोर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू.— उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :—

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धबोटी।	सीहोर	1344 / 11-7-2006	114 / 31-1-2025

अतः, मैं, कपिल धुँघराले, उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-2644)

कपिल धुँघराले, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 24 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-क्यू.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक—परिसमापन—2025—706, 707, 734, 744, 745, 766, 769 खण्डवा, दिनांक 23 अप्रैल 2025 से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जंता कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित पन्धाना।	904 / 07-04-1985	706 / 23-04-2025

(1)	(2)	(3)	(4)
2. जनसेवा कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित खण्डवा.		1212 / 26-04-2004	707 / 23-04-2025
3. आदर्श वैष्णव अधिकारी कर्मचारी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित खण्डवा.		1873 / 11-12-2002	734 / 23-04-2025
4. दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मून्दी		2268 / 14-8-2014	744 / 23-04-2025
5. दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढोरनी		2277 / 17-10-2014	745 / 23-04-2025
6. निमाड़ क्षेत्रीय भण्डारण सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा.		1642 / 27-11-1996	766 / 23-04-2025
7. मां नर्मदा वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, बिल्लोराखुर्द.		2318 / 18-8-2017	769 / 23-04-2025

अतः, मैं, अमित अलावे, सहकारी-निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था/संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह (60 दिवस) के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये, समझे जावेगें तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा। उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उत्तर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेगें।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस उक्त समिति/समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा कोई भी सामान या रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति का रिकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

(G-2645) अमित अलावे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र.-क्यू-01.— डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी जिला अशोकनगर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	आवंटित परिसमापाधीन संस्थाएं	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शवितपुंज महिला बहु सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा जमाल.	936 / 27-08-2002	82 / 22-01-2025
2.	विमुक्त सैनिक संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., कुदौली.	25 / 29-06-1950	86 / 22-01-2025

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बम्न खिरिया.	661 / 18-10-1991	92 / 22-01-2025
4.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., गोधन	674 / 26-10-1991	95 / 22-01-2025
5.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., मीठाखेड़ा	677 / 26-10-1991	96 / 22-01-2025
6.	शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., खैराई	1039 / 06-10-2004	97 / 22- 01-2025
7.	शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बीड सरकार.	1055 / 31-05-2005	98 / 22-01-2025
8.	शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., डोंगरा.	1104 / 26-06-2006	99 / 22-01-2025
9.	शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., केनवरा.	1026 / 30-07-2004	100 / 22-01-2025
10.	प्रगति शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया.	994 / 11-02-2003	101 / 22-01-2025
11.	शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., करैयाराय.	1092 / 24-03-2006	102 / 22-01-2025
12.	प्राणपुर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., प्राणपुर	503 / 20-11-1976	103 / 22-01-2025
13.	हरीजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मुंगावली	573 / 16-12-1986	104 / 22-01-2025
14.	महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बहादुरपुर	35 / 31-03-2005	1045 / 22-01-2025
15.	हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., चंदेरी	80 / 16-01-1982	106 / 22-01-2025
16.	साहू तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुंगावली	371 / 24-11-1972	107 / 22-01-2025
17.	रेशम उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुंगावली	5538 / 17-07-1987	108 / 22-01-2025
18.	आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., पथरिया.	411 / 04-06-1970	109 / 22-01-2025
19.	बांस डलिया उद्योग सहकारी संस्था मर्या., हाटकापुरा.	892 / 23-03-2005	110 / 22-01-2025
20.	आर्दश प्राथमिक उपभोक्ता भंडार चंदेरी	730 / 10-05-1994	111 / 22-01-2025
21.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., सोनाई	659 / 18-10-1991	112 / 22-01-2025
22.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., सेमरखेडी	660 / 18-10-1991	113 / 22-01-2025
23.	आदिवासी सामूहिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., अखाईघाट.	26 / 15-05-1961	114 / 22-01-2025
24.	सार्वजनिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., मुंगावली.	37 / 08-07-1970	115 / 22-01-2025
25.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., भीलरी	675 / 26-10-1991	116 / 22-01-2025
26.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., डोंगरा	676 / 26-10-1991	117 / 22-01-2025
27.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., झागर बमूरिया.	662 / 18-10-1991	118 / 22-01-2025

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., विक्रमपुर.	830 / 23-02-1996	119 / 22-01-2025
29.	मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्या., नयाखेड़ी, चंदेरी.	1126 / 29-02-2008	120 / 22-01-2025
30.	ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था मर्या., मुंगावली	549 / 07-01-1985	121 / 22-01-2025
31.	महिला प्राथमिक उप सहकारी भंडार, मुंगावली	35 / 27-11-2015	122 / 22-01-2025
32.	हरीजन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., मुंगावली.	5031 / 04-05-1958	123 / 22-01-2025

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियों परिसमापक में वेष्ठित हो गई है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो संतो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला अशोकनगर के कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्य के दावें, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्र के आधार पर परिसमापक के विवेक व समक्ष अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(G-2646)

आर.एल. सगर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सीहोर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 सी के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू- उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टीकामोड़।	भैरोंदा	1367 / 27-8-2009	19 / 05-01-2024
2.	मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, शाहगंज	बुधनी	1130 / 22-03-1999	448 / 18-05-2021
3.	मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, तालपुरा	बुधनी	1403 / 13-06-2008	446 / 18-05-2021

अतः, मैं, विनोद कुमार जैन, उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापक की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-2647)

विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

इंदौर, दिनांक 15 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-व्यू- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर के संशोधित आदेश क्र.-परिसमापक-2019-952, दिनांक 1 मई 2019 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीपति शीतगृह सहकारी संस्था, मर्यादित, इन्दौर	1913	952 / 01-05-2019
2.	हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, मर्यादित जगजीवन राम सिमरोल	120	952 / 01-05-2019
3.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, मर्यादित, रंगवासा देपालपुर	140	952 / 01-05-2019
4.	प्राथमिक वनोपज संग्रह सहकारी संस्था, मर्यादित, असरावद	65	952 / 01-05-2019
5.	हरिजन/आदि. वनोपज संग्रह सहकारी संस्था, मर्यादित	843	952 / 01-05-2019
6.	संग्रह वनोपज संग्रह सहकारी संस्था, मर्यादित, बेरहा	113	952 / 01-05-2019
7.	हरिजन जन श्रमिक वनोपज संग्रह सहकारी संस्था, मर्यादित	-	952 / 01-05-2019

अतः, मैं, आर.एस. गरेटिया, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना- पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का कोई भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 15 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद नाम से जारी की गई।

(G-2648)

आर.एस. गरेटिया, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

कार्यालय, परिसमापक सहकारिता, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 7 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

प्रति,

(समस्त सदस्य)

जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र.-क्यू— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	औसवाल बड़े साब गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	451 / 27-07-1987	877 / 11-06-2013
2.	माहेश्वरी प्रोटिंस गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	402 / 30-06-1986	1382 / 17-12-2014
3.	श्री जैन कालोनी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	33 / 16-02-1979	1237 / 26-09-2013
4.	समता गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	312 / 10-01-1983	1060 / 12-05-1993
5.	महावीर जैन गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	458 / 07-12-1987	1106 / 22-06-2018
6.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., कनेरी	992 / 07-02-2015	1422 / 27-07-2020
7.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., भूतियाकला	956 / 09-10-2014	1426 / 27-07-2020
8.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., पिपलखुटा	959 / 10-09-2014	271 / 03-02-2017
9.	जयंत विटामिन्स कर्म. साख सह. संस्था मर्या., रतलाम	252 / 06-06-1980	1290 / 08-10-2013
10.	विजय शिक्षक कर्म. साख सह.संस्था मर्या., सैलाना	137 / 09-08-1967	347 / 03-02-2017
11.	आदर्श साख सह.संस्था मर्या., बांगरोद	08 / 27-05-2013	346 / 03-02-2017
12.	आदर्श बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., सरबनी जागीर	983 / 11-12-2014	306 / 03-02-2017
13.	श्री मारुति बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., करिया	989 / 02-01-2015	305 / 03-02-2017
14.	महावीर बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., पथंवारी	995 / 16-03-2015	302 / 03-02-2017
15.	जय अम्बे बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., करिया	1003 / 11-05-2015	310 / 03-02-2017
16.	जय बजरंग बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., सकरावदा	1013 / 17-06-2015	307 / 03-02-2017
17.	जागृति बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., बिलन्दपुर	33 / 27-05-2013	1432 / 27-07-2020
18.	माँ अम्बिका बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., अम्बोदिया	980 / 10-12-2014	1433 / 27-07-2020
19.	हरिजन महालक्ष्मी बुनकर सह.संस्था मर्या., रतलाम	197 / 23-08-1990	203 / 16-01-2013
20.	आदिवासी बुनकर सह. संस्था मर्या., सैलाना	116 / 31-07-1953	200 / 16-01-2013
21.	क्षेत्रीय उत्थान सह.संस्था मर्या., रतलाम	03 / 27-05-2013	1444 / 27-07-2020
22.	अनुराग अगरबत्ती निर्माण उदयोग सह. संस्था मर्या., रतलाम	780 / 13-12-2002	332 / 03-02-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1) (सी / ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाणों के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवार से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति के लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व ख्यामेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी / आस्तियां का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 7 मई 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2649)

ए.एस. राठौर, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

रतलाम, दिनांक 7 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी / ग) के अन्तर्गत]

प्रति,

..... (समस्त सदस्य)

जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।

क्र.—क्यू— कार्यालय उप—पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शिवाजी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	320 / 18—04—1983	371 / 01—05—2014
2.	शहीद भगतसिंह गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	250 / 19—04—1980	1961 / 29—12—2009
3.	सहयोग गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	383 / 31—06—1986	880 / 11—06—2013
4.	लोक कल्याण गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	273 / 01—06—1981	295 / 03—02—2017
5.	सरकारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	338 / 23—04—1984	291 / 03—02—2017
6.	महिला दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., लसुडियाखेडी	837 / 09—09—2005	282 / 03—05—2017
7.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., शेरपूर	308 / 06—07—1982	672 / 02—05—2013
8.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., नन्दावता	497 / 02—12—1988	673 / 02—05—2013
9.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., आक्यापरवल	301 / 02—06—1982	264 / 03—02—2017
10.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., पिपलौदी	726 / 07—07—1998	1417 / 27—07—2020
11.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., माल्याताल	974 / 27—10—2014	1424 / 27—07—2020
12.	हरिजन वेतन पाने वालों कर्म. साख सह. संस्था मर्या., रतलाम।	11 / 05—09—1959	1289 / 08—10—2013.
13.	जनता साख सह.संस्था मर्या., जावरा	679 / 06—01—1996	343 / 03—02—2017

(1)	(2)	(3)	(4)
14. प्रयास साख सह.संस्था मर्या., जावरा		19 / 27-05-2013	997 / 03-11-2014
15. जलदेवी मत्त्य पालन सह. संस्था मर्या., बिरमावल		781 / 05-02-2003	1058 / 26-07-2013
16. सावरिया हरिजन बुनकर सह.संस्था मर्या., पंचेड		259 / 01-04-1991	200 / 16-01-2013
17. प्राथमिक जय अम्बे स्टोन क्रेशर सह. संस्था मर्या., रतलाम.		589 / 31-03-1999	1434 / 27-07-2020
18. आदर्श श्रमिक ठेका सह. संस्था मर्या., रतलाम		856 / 21-07-2008	331 / 03-02-2017
19. प्राथमिक आजीविका सह.संस्था मर्या., सेमलिया रुण्डी		829 / 20-06-2005	1441 / 27-07-2020
20. औद्योगिक कम्बल उत्पा. सह.संस्था मर्या., जावरा		27 / 13-11-1952	203 / 16-01-2013
21. हरिजन गंगासागर टाट-पट्टी उद्योग सह. संस्था मर्या., शिवगढ़.		120 / 30-08-1989	200 / 16-01-2013

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1) (सी / ग)के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाणों के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी / आस्तियां का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मई 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2650)

आर.के. भट्ट, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

रतलाम, दिनांक 7 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी / ग) के अन्तर्गत]

प्रति,

..... (समस्त सदस्य)

जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।

क्र.-क्यू— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रमजीवी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	260 / 1 / 25-09-1991	384 / 01-05-2014
2.	रतलाम गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	327 / 19-12-1983	383 / 01-05-2014

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	जागृति गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	362 / 21-03-1985	146 / 06-02-2008
4.	भास्त्री गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	315 / 20-01-1983	146 / 06-02-2008
5.	विद्या विहार गृह निर्माण सह संस्था मर्या., रतलाम	372 / 14-06-1985	1562 / 29-12-2009
6.	सावरिया गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., जावरा	376 / 13-08-1985	1383 / 17-12-2014
7.	भू-अभिलेख एवं राजस्व गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., जावरा.	613 / 01-06-1994	1055 / 26-07-2013
8.	आवास-विकास गृह निर्माण सह संस्था मर्या., रतलाम	386 / 22-02-1986	1059 / 12-05-1993
9.	न्यायिक कर्म. गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	321 / 25-05-1982	1812 / 06-10-2018
10.	प्रियदर्शनी शास. कर्म. गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., जावरा.	767 / 03-11-2001	1448 / 27-07-2020
11.	विष्णुपुरी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	400 / 21-05-1986	1428 / 27-07-2020
12.	दुर्घ उत्पादक सह. सं. मर्या., धामेडी	304 / 06-07-1982	287 / 03-02-2017
13.	दुर्घ उत्पादक सह. सं. मर्या., रिंगनिया	478 / 07-11-1998	2705 / 10-12-18
14.	दुर्घ उत्पादक सह. सं. मर्या., बिनोली	501 / 02-12-1988	2703 / 10-12-18
15.	दुर्घ उत्पादक सह. सं. मर्या., काकरवा	977 / 27-1-2014	2707 / 10-12-18
16.	दुर्घ उत्पादक सह. सं. मर्या., नवेली	523 / 21-10-1989	2700 / 10-12-18
17.	दुर्घ उत्पादक सह. सं. मर्या., जेठाना	280 / 8-02-1982	2699 / 10-12-18
18.	दुर्घ उत्पादक सह. सं. मर्या., ईटावाखुर्द	481 / 07-11-1988	1419 / 27-07-2020
19.	मछवा सह. सं. मर्या., शिवगढ़	215 / 11-01-1982	336 / 03-02-2017
20.	जय हिंगलाज मछवा सह. सं. मर्या., कमेड	787 / 19-02-2004	337 / 03-02-2017
21.	कालूकहार मछवा सह. सं. मर्या., लोचीतारा (खडकपाड़ा)	886 / 10-06-2001	1442 / 27-07-2020
22.	श्री बालाजी बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., मउखेडी	870 / 07-06-2010	322 / 03-02-2017
23.	साई बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., तितरी	869 / 01-06-2012	1814 / 06-10-2018
24.	दिनद्याल रत्तार यातायात सह. सं. मर्या., नंदलाई	595 / 06-07-1992	748 / 10-06-2002

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1) (सी/ग)के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाणों के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेगें तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियां का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मई 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2651)

विकास खराडे, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

रतलाम, दिनांक 7 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

प्रति,

(समस्त सदस्य)

जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र.-क्यू.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुजरात गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	406 / 09-10-1986	115 / 02-02-2006
2.	जनता गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	364 / 01-04-1985	1364 / 08-07-2019
3.	अभिभाषक गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	339 / 02-05-1984	296 / 03-02-2017
4.	महाराजा अग्रसेन गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	375 / 10-07-1985	300 / 03-02-2017
5.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., आकतवासा	616 / 30-06-1994	1421 / 27-07-2020
6.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., आनाखेडी	939 / 28-03-2014	1423 / 27-07-2020
7.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., सागोद	964 / 21-10-2014	1425 / 27-07-2020
8.	डॉ. राधाकृष्णन साख सह.संस्था मर्या., रिंगनोद	152 / 19-12-1969	594 / 31-05-2011
9.	पुलिस विभाग कर्म, साख सह.संस्था मर्या., रतलाम	14 / 28-09-1959	345 / 03-02-2017
10.	नगर निगम कर्मचारी साख सह.संस्था मर्या., रतलाम	220 / 29-02-1974	203 / 16-01-2013
11.	सांवरिया बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., बाजनखेडा	994 / 23-02-2015	318 / 03-02-2017
12.	भोलेनाथ बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., बरबोदना	990 / 23-01-2015	1430 / 27-07-2020
13.	माँ कालिका बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., धामनोद	985 / 24-12-2014	1431 / 27-07-2020
14.	अन्नपूर्णा साग-सब्जी सह.संस्था मर्या., विरमावल	612 / 19-04-1994	1434 / 27-07-2020
15.	कृषक विकास फल-फूल साग-सब्जी उत्पा. सह.संस्था मर्या., रतलाम	725 / 25-04-1989	699 / 02-05-2013
16.	अवधेश प्राथमिक उप. सह. भण्डार मर्या., रतलाम	801 / 24-09-2004	341 / 03-02-2017
17.	सांवरिया प्राथमिक उप. सह. भण्डार मर्या., रतलाम	802 / 24-09-2004	340 / 03-02-2017
18.	महावीर महिला बहुउद्देशीय सह. सं. मर्या., रतलाम	24 / 01-10-2002	2778 / 20-12-2018
19.	विशाल महिला बहुउद्देशीय सह. सं. मर्या., लालगुआडी	798 / 13-09-2004	1955 / 29-12-2009
20.	पुष्करण दुर्घ उत्पा. एवं प्रसंस्करण सह. सं. मर्या., पलसोडा	913 / 05-02-2013	987 / 03-11-2014

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1) (सी / ग)के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाणों के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति के लेखा—पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियां का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 7 मई 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है।

आशीष लोहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(G-2652)

रतलाम, दिनांक 7 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी / ग) के अन्तर्गत]

प्रति,

..... (समस्त सदस्य)

जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।

क्र.—क्यू.— कार्यालय उप—पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	न.पा.नि. श्रमिक कर्म. गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	341 / 06—07—1988	1288 / 08—10—2013
2.	तिलक गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	24 / 10—07—1967	292 / 03—02—2017
3.	मानसरोवर गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	783 / 09—04—2003	294 / 03—02—2017
4.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., भाकरखेडी	816 / 15—12—2004	284 / 03—02—2017
5.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., रत्तागढ़खेडा	266 / 28—05—1981	262 / 03—02—2017
6.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., नामली	241 / 27—06—1979	1416 / 27—07—2020
7.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., प्रितमनगर	488 / 07—11—1988	1420 / 27—07—2020
8.	दिव्य निर्माण साख सह.संस्था मर्या., नामली	1015 / 28—10—2015	1427 / 27—07—2020
9.	सिखवाल श्रृंग ब्राह्मण सह. संस्था मर्या., रतलाम	763 / 18—06—2001	993 / 03—11—2014
10.	श्री राम बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., हतनारा	1004 / 11—05—2015	309 / 03—02—2017
11.	पार्वती हरिजन बुनकर सह. संस्था मर्या., खारवाकला	199 / 18—02—1990	200 / 16—01—2013

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	दीनदयाल खदान मजदूर स्टोन क्रेशर एवं रेत ट्रक श्रम ठेका सह.संस्था मर्या., बंजली रतलाम	586 / 13-01-1992	1579 / 02-01-2010
13.	जागृति महिला बहुउद्देशीय सह.संस्था मर्या., रतलाम	793 / 29-07-2004	335 / 18-03-2010
14.	स्वर्णकार सह.संस्था मर्या., रतलाम	10 / 06-08-1959	327 / 03-02-2017
15.	लोक कल्याण विकास सह.संस्था मर्या., सैलाना	820 / 26-04-2005	779 / 24-08-2002
16.	पश्चिम रेल्वे लेबर को-ऑपरेटिव सह. संस्था मर्या., रतलाम	865 / 22-12-2009	1445 / 27-07-2020
17.	विश्वकर्मा सुतारी-लुहारी सह. संस्था मर्या., धराड	138 / 09-09-1967	203 / 16-01-2013
18.	चर्मउद्योग सह. संस्था मर्या., ओझाखाली	701 / 11-07-2003	701 / 02-05-2013
19.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., खेडागोठडा	838 / 30-06-1994	1418 / 27-07-2020

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1) (सी/ग)के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाणों के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेगें तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियां का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मई 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है।

हरीश चौहान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(G-2653)

रतलाम, दिनांक 7 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

प्रति,

..... (समस्त सदस्य)

जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।

क्र.-क्यू— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गौरव गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	462 / 11-01-1988	317 / 12-03-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	देव आशीष गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	256 / 24-04-1981	3149 / 02-11-2001
3.	दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., कुआझागर	968 / 21-10-2014	261 / 03-02-2017
4.	महिला दुर्घ उत्पादक सह.सं. मर्या., पिपलियासीर	1057 / 22-09-2017	1414 / 27-07-2020
5.	रतलाम साख सह.सं. मर्या., रतलाम	724 / 11-11-1997	373 / 01-05-2014
6.	नगर पालिका कर्म. साख सह.सं. मर्या., जावरा	193 / 12-05-1991	998 / 03-11-2014
7.	राजलक्ष्मी साख सह.सं. मर्या., रतलाम	936 / 28.03.2014	1443 / 27-07-2020
8.	आदर्श बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रियावन	878 / 27-01-2010	311 / 03-02-2017
9.	माही बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., बाजना	912 / 31-12-2012	320 / 03-02-2017
10.	बुनकर सह. संस्था मर्या., माउखेडी	158 / 08-04-2009	203 / 16-01-2013
11.	हरिजन बुनकर सह.संस्था मर्या., रतलाम	143 / 02-06-1955	1435 / 27-07-2020
12.	बालाजी फल—फूल साग सब्जी सह. संस्था मर्या., बंजली	767 / 03-11-2001	1437 / 27-07-2020
13.	विवेकानंद फल—फूल साग सब्जी सह. संस्था मर्या., कालूखेडा	730 / 01-01-1999	1438 / 27-07-2020
14.	गोण खनिज सह. संस्था मर्या., नया नगर जावरा	714 / 09-07-1996	749 / 10-06-2002
15.	मॉ अम्बे बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., जुलवानिया	846 / 04-07-2007	1450 / 27-07-2020
16.	रतलाम कृषि ईंधन आपूर्ति सह.संस्था मर्या., रतलाम	851 / 10-03-2008	330 / 03-02-2017
17.	औद्यो. कम्बल सह.संस्था मर्या., जावरा	27 / 11-11-1952	203 / 16-01-2013
18.	सोनिया रेडिमेड उद्योग सह.संस्था मर्या., रतलाम	788 / 28-02-2004	697 / 02-05-2013
19.	वनस्पति मिनरल्स सहकारी संस्था मर्या., रतलाम	6256 / 06-03-1965	203 / 16-01-2013
20.	आदिवासी श्रमिक ठेका एवं कामगार सह. संस्था मर्या., सैलाना	595 /	1051 / 26-07-2013

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1) (सी / ग)के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाणों के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति के लेखा—पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी / आस्तियां का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 7 मई 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है।

कमल बुंदेला, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू— उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला के भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहकारिता विभाग अधिकारी गृह निर्माण सह.संस्था	डी.आर.बी 670 / 4-10-1995	518 / 14-03-2024
2.	मधुरिमा गृह निर्माण सह. संस्था मर्या.. भोपाल	डी.आर.बी 715 / 3-9-1996	518 / 14-03-2024
3.	आसरा गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., भोपाल	डी.आर.बी 936 / 16-12-2002	599 / 21-02-2025
4.	कामायनी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., भोपाल	डी.आर.बी 326 / 21-03-1983	599 / 21-02-2025
5.	पंजाबी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., भोपाल	डी.आर.बी 1712 / 2-03-1959	721 / 12-03-2025

अतः, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाम के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होगें। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/ दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-2655)

आकाश शर्मा, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-01.— उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सह.संस्था, भोपाल	138 / 30-08-1979	599 / 21-02-2025
2.	नवयुवक गृह निर्माण सह. संस्था, भोपाल	103 / 14-07-1977	599 / 21-02-2025

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सह. संस्था, भोपाल	62 / 11-02-1962	518 / 14-03-2024
4.	गोपाल गृह निर्माण सह. संस्था, भोपाल	373 / 5-9-1983	518 / 14-03-2024
5.	बद्रीनारायण गृह निर्माण सह. संस्था, भोपाल	1130 / 30-12-2008	518 / 14-03-2024

अतः, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 18 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सुप्रिया जैन, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(G-2656)

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025.— उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुदर्शन गृह निर्माण सह.संस्था मर्या.,	DRB 506 / 2-12-86	परि/2024/518/14-03-2024

अतः, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम, क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 18 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

रश्मि चंदानी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(G-2657)

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025/01.— उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नव सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,	DRB 249 / 7-9-1981	परि. 2025/ 247 / 31-1-2025
2.	सृष्टि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB 609 / 20-10-1994	परि. 2025/ 247 / 31-1-2025
3.	रितु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB 680 / 28-12-1991	परि. 2025/ 247 / 31-1-2025
4.	एडवोकेट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB 01 / 13-9-1962	परि. 2025/ 247 / 31-1-2025

अतः, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 18 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

पंकज श्रीवास्तव, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(G-2658)

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025/01.— उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ओशी गृह निर्माण सह. संस्था. मर्या., भोपाल	1138 / 23-7-2009	2066 / 16-8-2013
2.	एस.बी.आई.कर्म. गृह निर्माण सह. संस्था. मर्या., भोपाल	106 / 5-12-1962	840 / 28-3-2014

(1)	(2)	(3)	(4)
3. अमन गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., भोपाल		981 / 4-6-2004	754 / 20-3-2009
4. नेहा गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., भोपाल		657 / 01-8-1995	2435 / 24-6-2011

अतः, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/ दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अलका तिगा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-2659)

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-04- उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चाहत गृह निर्माण सह.संस्था	659 / 4-8-1995	203 / 24-01-2019
2.	पदप्रिपा गृह निर्माण सह. संस्था	843 / 5-1-2000	203 / 24-01-2019
3.	सदा गृह निर्माण सह. संस्था	591 / 28-5-1994	203 / 24-01-2019
4.	मारुति गृह निर्माण सह. संस्था	615 / 15-12-1994	4037 / 5-12-2022
5.	श्राज गृह निर्माण सह. संस्था	978 / 29-04-2004	4037 / 5-12-2022
6.	प्रवेश नगर गृह निर्माण सह. संस्था	531 / 10-03-1989	4037 / 5-12-2022

अतः, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/ दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-2660)

सपना गुहा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—क्यू.— उप रजिस्ट्रार/ सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सतपुड़ा गृह निर्माण सहकारी संस्था	274 / 23—11—1982	4918 / 28—10—2004
2.	सोनालिया गृह निर्माण सहकारी संस्था	664 / 04—09—2005	1261 / 23—05—2013

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/ दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-2661)

सत्यम चतुर्वेदी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025.— उप रजिस्ट्रार/ सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुरुचि गृह निर्माण सह.स. मर्या.,	172 / 31—03—1980	75 / 12—01—2022
2.	ग्रीनपार्क गृह निर्माण सह.स. मर्या.,	252 / 07—09—1981	75 / 12—01—2022
3.	त्रिमूर्ति गृह निर्माण सह.स. मर्या.,	454 / 29—07—1985	75 / 12—01—2022
4.	न्यू केपीटल प्रोजेक्ट गृह निर्माण संस्था	218 / 26—06—1981	518 / 14—03—2024
5.	अजीत नगर (भेल) कर्म.गृ.नि.सह.स.	409 / 4—6—1984	75 / 12—01—2022
6.	सनराइज गृह निर्माण सह.स.	501 / 01—10—1986	2718 / 18—11—2016

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होगें। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी / दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अखिलेश नैन, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(G-2662)

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025.— उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश
			क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वीर गृह निर्माण सह.संस्था मर्या., भोपाल	524 / 20-01-1989	2467 / 10-08-2018
2.	वर्धमान गृह निर्माण सह.संस्था मर्या., भोपाल	170 / 31-03-1980	1696 / 28-06-2013
3.	परमेश्वर गृह निर्माण सह.संस्था मर्या., भोपाल	616 / 22-12-1994	518 / 14-03-2024
4.	मयंक गृह निर्माण सह.संस्था मर्या., भोपाल	543 / 04-09-1990	518 / 14-03-2024
5.	त्रिशक्ति गृह. निर्माण सह.संस्था मर्या., भोपाल	948 / 27-09-2003	518 / 14-03-2024

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होगें। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी / दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

लता गिल, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(G-2663)

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-1.— उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	राजलक्ष्मी गृह निर्माण सह.संस्था मर्या., भोपाल	353 / 21-05-1983	क्र/परि. 2022/ 4037, 15-2-2022

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयंसेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 28 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

ज्योति थिंगले, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(G-2664)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष कार्यकारणी समिति,

माइनॉरिटी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, शाजापुर,

पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 22 जून 1995, जिला शाजापुर,

विषय:— मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा (69)3 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना—पत्र.

क्र.—परि—2025—522.— विषायांतर्गत निम्नबिन्दुओं के आधार पर क्यों ना आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावेगा:—

1. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

2. संस्था विगत तीन वर्षों से अधिक आकार्यशील हो कर बन्द है.

3. शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई जिसकी जाँच कलेक्टर, महोदय द्वारा कराई जाकर आदेश पारित किया गया जो इस कारण सूचना बताओ के संलग्न है. जाँच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा माइनॉरिटी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, शाजापुर का फर्जी तरीके से होने व संस्था के सदस्यों का मछुआ प्रमाणीकरण न होना बताया गया जाँच कमेटी द्वारा मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग द्वारा संस्थाओं को अनुशंसा एवं सदस्यों के मछुआ प्रमाणीकरण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कहा गया परन्तु संस्था सदस्यों के मछुआ प्रमाणीकरण एवं समिति अनुशंसा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये संस्था सचिव द्वारा वर्ष 1999 के 9 सदस्यों द्वारा विभागीय प्रशिक्षण प्राप्ति के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये गये किन्तु जाँच कमेटी द्वारा सूझमता से परीक्षण करने पर पाया गया की संस्था का पंजीयन वर्ष 1995 में किया गया एवं मछुआ प्रमाण—पत्र वर्ष 1999 में जारी किये गये जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि संस्था के पंजीयन के समय संस्था के सदस्य मछुआ के श्रेणी में नहीं आते थे.

अतः, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक—एफ—5—1—1999—पन्द्रह—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना—पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना—पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 12 जून 2025 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(G-2665)

ओ.पी. गुप्ता, उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, ज़िला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

प्रति,

श्री.....

पता—.....

तहसीलज़िला शाजापुर,

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अन्तर्गत]

क्र.—पंजीयन—2025—523.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, नरोलाहिरापुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1620, दिनांक 21 नवम्बर 1966 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया जिसमें संस्था में कुल सदस्य संख्या 1559 तथा कुल व्यवसाय 6.03 करोड़ रुपये हैं। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ऊपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 04 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक—1265, दिनांक 2 मई 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये गये निर्देश के पालन में, पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, नरोलाहिरापुर का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है, उक्त पत्रों के साथ संलग्न समय सारणी अनुसार पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16 (5) की कार्यवाही की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अन्तर्गत ‘यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जाएगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा’ प्रावधानित किया गया है।

चूंकि, उक्त पुनर्गठन आपके हित पर असर करता है, इसलिये एतदद्वारा मैं, ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ज़िला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के उपधारा (5) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत सभी सदस्यों को यह सूचना दी जाती है कि आप प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, नरोलाहिरापुर के सदस्य/ऋणदाता/अमानतदार के रूप में रहना चाहते हैं।

उक्त सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ज़िला शाजापुर के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा स्वेच्छा प्रकट न करने तथा कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना लिया जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई आपत्ति नहीं है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2666)

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजीयन—2025—524.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या, नरोलाहिरापुर, जिसका पंजीयन क्रमांक—1620, दिनांक 21 नवम्बर 1966 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया। संस्था में कुल सदस्य संख्या 1559 तथा कुल व्यवसाय 6.03 करोड़ रुपये हैं। जिससे संदर्भित पत्र अनुसार लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ऊपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 4 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, नरोलाहिरापुर का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है। पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(3) की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक अन्तर्गत” परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा”, प्रावधानित किया गया है।

एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत संस्था को यह सूचना दी जाती है कि सूचना—पत्र जारी दिनांक से एक माह के भीतर सोसायटी को पुनर्गठन की कार्ययोजना हेतु प्रस्तावित नवीन संस्था के कार्यक्षेत्र एवं संस्था मुख्यालय के संबंध में प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री अजय शर्मा, सहकारी—निरीक्षक के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा राय अभिव्यक्त न करने तथा इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करना है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत ली गई मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2667)

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजी—2025—525.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., किशोनी, जिसका पंजीयन क्रमांक—655, दिनांक 30 जून 1995 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्र क्रमांक— साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया संस्था में कुल सदस्य संख्या 1104 तथा कुल व्यवसाय 4.67 करोड़ रुपये है. जिससे संदर्भित पत्र अनुसार लक्ष्य की पूर्ति की जा सकें.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के उपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 4 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिए.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक— साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये निर्देश के पालन में, पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, किशोनी का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है. पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(3) की जानी है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक अन्तर्गत "परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा" प्रावधानित किया गया है.

एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत संस्था को यह सूचना दी जाती है कि सूचना—पत्र जारी दिनांक से एक माह के भीतर सोसायटी को पुनर्गठन की कार्ययोजना हेतु प्रस्तावित नवीन संस्था के कार्यीत्र एवं संस्था मुख्यालय के संबंध में प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री अजय शर्मा, सहकारी निरीक्षक के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें.

उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा राय अभिव्यक्त न करने तथा इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करना है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत ली गयी मानी जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2668)

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत स्वेच्छा स्पष्ट करने हेतु]

क्र.-पंजी-2025-526.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, किशोनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 655, दिनांक 30 जून 1995 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023-14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया जिसमें संस्था में कुल सदस्य संख्या 1104 तथा कुल व्यवसाय 4. 67 करोड़ रुपये हैं। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के उपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक-04 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक—1265, दिनांक 2 मई 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये गये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, किशोनी का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है, उक्त पत्रों के साथ संलग्न समय सारणी अनुसार पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(5) की कार्यवाही की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत "यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समर्त व्यक्तियों को दी जाएगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा" प्रावधानित किया गया है।

चूंकि उक्त पुनर्गठन आपके हित पर असर करता है, इसलिये एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत सभी सदस्यों को यह सूचना दी जाती है, कि आप प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, किशोनी के सदस्य/ऋणदाता/ अमानतदार के रूप में रहना चाहते हैं।

उक्त सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा स्वेच्छा प्रकट न करने तथा कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई आपत्ति नहीं है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2669)

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजी—2025—527.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मैहरखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक—1187, दिनांक 29 नवम्बर 1966 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया संस्था में कुल सदस्य संख्या 1405 तथा कुल व्यवसाय 5.87 करोड़ रुपये हैं। जिससे संदर्भित पत्र अनुसार लक्ष्य की पूर्ति की जा सकें।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के उपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक—4 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मैहरखेड़ी का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है। पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(3) की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक अन्तर्गत "परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा" प्रावधानित किया गया है।

एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा—(3) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत संस्था को यह सूचना दी जाती है कि सूचना—पत्र जारी दिनांक से एक माह के भीतर सोसायटी को पुनर्गठन की कार्ययोजना हेतु प्रस्तावित नवीन संस्था के कायीत्र एवं संस्था मुख्यालय के संबंध में प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री अजय शर्मा, सहकारी निरीक्षक के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा राय अभिव्यक्त न करने तथा इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करना है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत ली गई मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2670)

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वेच्छा स्पष्ट करने हेतु]

क्र.-पंजी-2025-528.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बैरछा जिसका, पंजीयन क्रमांक 98, दिनांक 28 मार्च 1967 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया जिसमें संस्था में कुल सदस्य संख्या 1225 तथा कुल व्यवसाय 5.53 करोड़ रुपये हैं। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के उपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक—04 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक—1265, दिनांक 2 मई 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये गये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बैरछा का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है, उक्त पत्रों के साथ संलग्न समय सारणी अनुसार पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(5) की कार्यवाही की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत "यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जाएगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा" प्रावधानित किया गया है।

चूंकि उक्त पुनर्गठन आपके हित पर असर करता है, इसलिये एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत सभी सदस्यों को यह सूचना दी जाती है कि आप प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बैरछा के सदस्य/ऋणदाता/ अमानतदार के रूप में रहना चाहते हैं।

उक्त सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा स्वेच्छा प्रकट न करने तथा कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना लिया जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई आपत्ति नहीं है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजी—2025—529.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बैरछा जिसका पंजीयन क्रमांक—98, दिनांक 28 मार्च 1967 है. के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया संस्था में कुल सदस्य संख्या 1225 तथा कुल व्यवसाय 5.53 करोड़ रुपये है. जिससे संदर्भित—पत्र अनुसार लक्ष्य की पूर्ति की जा सके.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ऊपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 4 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये.

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बैरछा का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है. पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16 (3) की जानी है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक् अन्तर्गत "परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा" प्रावधानित किया गया है.

एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 28 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश शासन सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक् अन्तर्गत संस्था को यह सूचना दी जाती है कि सूचना—पत्र जारी दिनांक से एक माह के भीतर सोसायटी को पुनर्गठन की कार्ययोजना हेतु प्रस्तावित नवीन संस्था के कार्यक्षेत्र एवं संस्था मुख्यालय के संबंध में प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री अजय शर्मा सहकारी निरीक्षक के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें.

उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा राय अभिव्यक्त न करने तथा इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करना है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत ली गई मानी जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2672)

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

प्रति,

श्री

पता--

तहसील जिला शाजापुर,

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजीयन—2025—530.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दुपाड़ा जिसका पंजीयन क्रमांक—56, दिनांक 19 अक्टूबर 1967 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया जिसमें संस्था में कुल सदस्य संख्या 1339 तथा कुल व्यवसाय 9.76 करोड़ रुपये हैं। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ऊपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 04 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक, 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक—1265, दिनांक 2 मई 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये गये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दुपाड़ा का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है, उक्त पत्रों के साथ संलग्न समय सारणी अनुसार पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16 (5) की कार्यवाही की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत "यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जाएगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसायटी या सोसायटीयों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा" प्रावधानित किया गया है।

चूंकि, उक्त पुनर्गठन आपके हित पर असर करता है, इसलिये एतद्वारा मैं, ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के द्वितीय परन्तुके के अन्तर्गत सभी सदस्यों को यह सूचना दी जाती है, कि आप प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दुपाड़ा के सदस्य/ऋणदाता/अमानतदार के रूप में रहना चाहते हैं।

उक्त सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा स्वेच्छा प्रकट न करने तथा कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना लिया जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई आपत्ति नहीं है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2673)

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजीयन—2025—531.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दुपाड़ा जिसका पंजीयन क्रमांक—56, दिनांक 19 अक्टूबर 1967 है, के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया संस्था में कुल सदस्य संख्या 1339 तथा कुल व्यवसाय 9.76 करोड़ रुपये है. जिससे संदर्भित—पत्र अनुसार लक्ष्य की पूर्ति की जा सके.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ऊपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 4 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दुपाड़ा का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है. पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16 (3) की जानी है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक् अन्तर्गत "परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा" प्रावधानित किया गया है.

एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुवे, मध्यप्रदेश शासन सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के द्वितीय परन्तुक् के अन्तर्गत संस्था को यह सूचना दी जाती है कि सूचना—पत्र जारी दिनांक से एक माह के भीतर सोसायटी को पुनर्गठन की कार्ययोजना हेतु प्रस्तावित नवीन संस्था के कार्यक्षेत्र एवं संस्था मुख्यालय के संबंध में प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री अजय शर्मा सहकार—निरीक्षक के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें.

उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा राय अभिव्यक्त न करने तथा इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करना है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत ली गई मानी जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

प्रति,

श्री

पता—

तहसीलजिला शाजापुर,

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजीयन—2025—532.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सागड़ियां, जिसका पंजीयन क्रमांक 3850, दिनांक 30 अक्टूबर 1966 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया जिसमें संस्था में कुल सदस्य संख्या 1340 तथा कुल व्यवसाय 6.04 करोड़ रुपये हैं। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के उपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक—04 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक—1265, दिनांक 2 मई 2023 एवं विभागीय वीरसी में दिये गये निर्देश के पालन में, पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सागड़ियां का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है, उक्त पत्रों के साथ संलग्न समय—सारणी अनुसार पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(5) की कार्यवाही की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत "यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जाएगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा" प्रावधानित किया गया है।

चूंकि उक्त पुनर्गठन आपके हित पर असर करता है, इसलिये एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत सभी सदस्यों को यह सूचना दी जाती है कि आप प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सागड़ियां के सदस्य / ऋणदाता / अमानतदार के रूप में रहना चाहते हैं।

उक्त सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा स्वेच्छा प्रकट न करने तथा कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई आपत्ति नहीं है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2675)

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजीयन—2025—533.—बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सागडियां, जिसका पंजीयन क्रमांक—3850, दिनांक 30 अक्टूबर 1966 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया संस्था में कुल सदस्य संख्या 1340 तथा कुल व्यवसाय 6.04 करोड़ रुपये है. जिससे संदर्भित पत्र अनुसार लक्ष्य की पूर्ति की जा सकें.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ऊपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 4 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये,

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये निर्देश के पालन में, पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक, दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सागडियां का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है. पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(3) की जानी है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक अन्तर्गत "परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिये जाने के पूर्व संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा. प्रावधानित किया गया है.

एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत संस्था को यह सूचना दी जाती है कि सूचना—पत्र जारी दिनांक से एक माह के भीतर सोसायटी को पुनर्गठन की कार्ययोजना हेतु प्रस्तावित नवीन संस्था के कार्यक्षेत्र एवं संस्था मुख्यालय के संबंध में प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री अजय शर्मा, सहकारी—निरीक्षक के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें.

उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा राय अभिव्यक्त न करने तथा इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करना है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत ली गई मानी जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

प्रति,

श्री.....

पता—.....

तहसील जिला शाजापुर,

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजीयन—2025—534.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरदौनकलां, जिसका पंजीयन क्रमांक—3036, दिनांक 29 नवम्बर 1966 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया जिसने संस्था में कुल सदस्य संख्या 1234 तथा कुल व्यवसाय 8.05 करोड़ रुपये है। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ऊपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 04 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक—1265, दिनांक 2 मई 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये गये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरदौनकलां का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है। उक्त पत्रों के साथ संलग्न समय—सारणी अनुसार पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(5) की कार्यवाही की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत “यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्ति को दी जाएगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा” प्रावधानित किया गया है।

चूंकि, उक्त पुनर्गठन आपके हित पर असर करता है, इसलिये एतद्वारा, मैं, ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत सभी सदस्यों को यह सूचना दी जाती है कि आप प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरदौनकलां के सदस्य / ऋणदाता / अमानतदार के रूप में रहना चाहते हैं।

उक्त सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा स्वेच्छा प्रकट न करने तथा कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई आपत्ति नहीं है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2677)

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजीयन—2025—535.—बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खरदौनकलां जिसका पंजीयन क्रमांक 3036, दिनांक 29 नवम्बर 1966 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया संस्था में कुल सदस्य संख्या 1234 तथा कुल व्यवसाय 8.05 करोड़ रुपये हैं। जिससे संदर्भित—पत्र अनुसार लक्ष्य की पूर्ति की जा सकें।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ऊपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 4 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं विभागीय वीसी में दिये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरदौनकलां का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु विन्हांकन किया गया है। पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(3) की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक अन्तर्गत "परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा" प्रावधानित किया गया है।

एतद्वारा मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मध्यप्रदेश शासन सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत संस्था को यह सूचना दी जाती है कि सूचना—पत्र जारी दिनांक से एक माह के भीतर सोसायटी को पुनर्गठन की कार्ययोजना हेतु प्रस्तावित नवीन संस्था के कार्यक्षेत्र एवं संस्था मुख्यालय के संबंध में प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री अजय शर्मा, सहकारी—निरीक्षक के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त समयावधि में आपके द्वारा राय अभिव्यक्त न करने तथा इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करना है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत ली गई मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2025

प्रति,

श्री.....

पता—.....

तहसीलजिला शाजापुर,

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत]

क्र.—पंजीयन—2025—536.— बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मैहरखेड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक 1187, दिनांक 29 नवम्बर 1966 है, के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—14, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023 के परिपालन में परीक्षण किया गया जिसमें संस्था में कुल सदस्य संख्या 1405 तथा कुल व्यवसाय 5.87 करोड़ रुपये हैं। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ऊपर वर्णित परिपत्र की कंडिका क्रमांक 04 अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित संस्था की सदस्य संख्या 1000 एवं व्यवसाय 3.00 (तीन) करोड़ से अधिक होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक—सीओपी—0066—2023—15—1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक—1265, दिनांक 2 मई 2023 एवं विभागीय वीरसी में दिये गये निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार जे.डल्यूसी. की दैर्घ्यक दिनांक 7 मई 2025 के निर्णय अनुसार बी—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मैहरखेड़ी का पुनर्गठन कर नवीन पैक्स का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है। उक्त पत्रों के साथ संलग्न समय सारणी अनुसार पुनर्गठन हेतु अधिनियम की धारा 16(5) की कार्यवाही की जानी है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के अन्तर्गत “यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पढ़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जाएगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना जारी होने की तारीख से एक भास के भीतर किया जायेगा” प्रावधानित किया गया है।

चूंकि, उक्त पुनर्गठन आपके हित पर असर करता है। इसलिये एतद्वारा मैं, ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 20 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (5) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत सभी सदस्यों को यह सूचना दी जाती है, कि आप प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मैहरखेड़ी के सदस्य ऋणदाता/अमानतदार के रूप में रहना चाहते हैं।

उक्त सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता एवं उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के पास कार्यालयीन दिवस एवं समय में आपके द्वारा लिखित रूप में भेजी जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समयावधि मैं, आपके द्वारा स्वेच्छा प्रकट न करने तथा कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि आपको उक्त पुनर्गठन में कोई आपत्ति नहीं है तथा आपकी स्वीकृति विधान अन्तर्गत मानी जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2679)

ओ.पी. गुप्ता, उप—आयुक्त.

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2025—ज्येष्ठ 16, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)